घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 270- शुक्रवार 31- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल...लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस

12 साल में सवा लाख छात्रों ने सुसाइड किया,नए बिल में आंकड़ों के अलावा कुछ भी नया नहीं,इससे पेपर चुराने वाले बचते रहेंगे : खड़गे

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। हालांकि जब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए,तब विपक्ष वॉकआउट कर गया। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एनटीए को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए। इससे पहले, लोकसभा में बुधवार को करीब 7 घंटे बहस के बाद पेपर लीक से जुड़ा बिल पारित हो गया था। इधर,बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। अनुराग का आरोप है राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दावा किया कि पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में सवा लाख छात्रों ने सुसाइड किया है। खड़गे ने कहा- 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। सरकार ने पेपर लीक और प्रदर्शन के दौरान छात्रों की बात नहीं सुनी। बाद में जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया। ये पहले हो गया होता तो छात्रों को लाठी नहीं खानी पड़ती। खड़गे ने कहा- पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन बिल में कुछ नया नहीं है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेपर चुराने वाले बचते रहेंगे। छात्र पिटते रहेंगे। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पेश किया।

खड़गे ने कहा- शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ सालों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एक को भी सजा नहीं हुई। सरकार क्या कर रही थी। क्या एजेंसियां सो रही थीं। शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है। बजट में छह फीसदी भागीदारी शिक्षा बजट की होनी चाहिए, लेकिन 3% से भी कम है।

सभापति ने कहा- खड़गे का मनुस्मृति वाला बयान रिकॉर्ड से हटाया जाएगा

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा– खड़गे ने जो पक्ष रखा है, मैं उसको प्रमाणित करना चाहूंगा। जयराम रमेश बहुत विद्वान हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि विलियम जोन्स कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने 1790 मनु स्मृति का अनुवाद किया। 3 किताबों का अनुवाद किया गया। दोनों उपलब्ध हैं। सुधांशु ने आगे कहा– बाबा साहब की किताब 'हू वर शूद्र', में उन्होंने लिखा है। द अनटचेबल्स में उन्होंने लिखा है कि मनु के काल में कोई छुआछूत नहीं थी। इन्होंने बोला– विलियम से पहले की दर्जन किताबें मिलती हैं। जहांगीर नामा, तर्जुके बाबरी है। किसी में इसका जिक्र नहीं हैं।

नड्डा बोले...खड़गे जी भावावेश में न आएं, तर्क के साथ बात रखें...

खड़गे की स्पीच के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा– विपक्ष के नेता को हम शांति से सुन रहे हैं, लेकिन खड़गेजी भावावेश में न आएं। तर्क के साथ अपनी बात रखें। अभी जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए वे असंसदीय हैं।

अनुराग की मांग...इडियट-अंधभक्त कहने पर बिना शर्त माफी मांगें राहुल

तीन पन्नों के इस नोटिस में ठाकुर ने बिरला से मांग की है कि वे इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजें ताकि इसकी विस्तृत जांच हो सके और मामले में एक्शन लिया जा सके। इसमें राहुल गांधी से सदन और शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की मांग भी शामिल है। 29 जुलाई को सदन की कार्यवाही का जिक्र करते हुए, जब एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर बहस हो रही थी। ठाकुर ने कहा कि विरोध कर रहे छात्रों के साथ हुई बातचीत का ब्योरा देते समय गांधी ने नियम 352 का उल्लंघन किया। 3 पेज के नोटिस में अनुराग ने लिखा है कि राहुल ने इडियट और अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल करके सदन की अवमानना की है।

राघव चड्ढा बोले... छात्रों की बात सुनकर सरकार ने एक्शन लिया

राज्यसभा में राघव चड्ढा ने नीट के छात्रों से कहा कि उनका गुस्सा जायज है। उनकी बात प्रधानमंत्री ने सुनी और गार्जियन की तरह सिस्टम बदला। सरकार पेपर लीक के खिलाफ पहली बार एक फ्रेमवर्क लेकर आई है। राघव ने बताया कि सरकार ने तमाम एक्शन लिए। मात्र 75 दिन में चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर करा दी गई, जांच को लटकाया नहीं। सरकार अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए ऐसा कानून लेकर आई है।

ऑर्डर किसने दि
WHO GAVE THE OR

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, छात्रों पर कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सरकार को घेरा

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने मकर द्वार के पास प्रदर्शन करते हुए 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित पैलेट गन कार्रवाई का विरोध किया। विपक्ष ने इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की और छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने 'चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए और बैनर दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

नेपाल में हिंसा के बाद तीन जिलों में कर्फ्यू पीएम बालेंद्र शाह की आपात बैठक..

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। नेपाल के भारत से सटे सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सुरक्षाकर्मियों समेत एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। इस घटना का असर भारत-नेपाल सीमा तक भी देखा जा रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा के बाद मधेस प्रदेश के धनुषा और सिरहा जिलों में प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। धनुषा जिले के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी भूदेव झा ने बताया कि जनकपुर, लक्ष्मिनिया हाटबाजार, बेलौनी रोड, नगराइन नगरपालिका और दूधमती पुल सहित कई संवेदनशील इलाकों में दोपहर 3:30 बजे से कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। वहीं सिरहा जिले के गोलबाजार क्षेत्र में भी दोपहर 2 बजे से लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से घरों में रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सुनसरी जिले में पहले से लागू कर्फ्यू की अवधि को प्रशासन ने आगे बढ़ा दिया है। सोमवार से लागू प्रतिबंधों को देखते हुए अब पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सहित लगभग दस संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला-पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं

दिल्ली सरकार को आदेश; केंद्र जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का रिकॉर्ड रखे

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टीके संसद मार्च में बैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। कोर्ट ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

कोयंबटूर विस्फोट मामले में ईडी की देश के 16 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2022 के कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में आतंकी फंडिंग की जांच के सिलसिले में गुरुवार को चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद और मुंबई में 16 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में सामने आया कि विस्फोट के आरोपितों ने फर्जी कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र घोटाले और कोवाई अरबी कॉलेज के नाम पर चंदा एवं फर्जी निवेश के जरिए धन जुटाकर आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित किया। ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2022 में कोयंबटूर के संगमेश्वरर मंदिर के निकट हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट को जमेशा मुबीन और उसके साथियों ने अंजाम दिया था।

पश्चिम एशिया संकट पर सीसीएस की बैठक...मोदी ने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा,ऊर्जा एवं उर्वरक आपूर्ति बनाए रखने तथा हालात की नियमित निगरानी के लिए समन्वित तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट सचिव ने पश्चिम एशिया की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलएनजी,एलपीजी और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एलपीजी की खरीद के स्रोतों में विविधता लाई गई है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार तथा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल,डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता की समीक्षा की गई और वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी जहाजों पर कार्यरत भारतीय नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनके और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए विशेष तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का असर भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों पर न पड़े, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।

उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण जारी रखा जाए।

किसानों का बड़ा प्रदर्शन खत्म,सरकार ने मानी मांगें

मध्यप्रदेश,30 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डटे हुए किसानों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के साथ चली लंबी बैठकों और सकारात्मक चर्चा के बाद धरना खत्म करने का बड़ा ऐलान किया। सरकार ने मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सीमा बढ़ाने और किसानों की अन्य प्रमुख समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद स्थिति सामान्य होने लगी है। सरकार इस पूरे विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह मूंग की सरकारी खरीद और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था थी। किसान लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी उपज की खरीद का दायरा बढ़ाया जाए और जटिल डिजिटल सिस्टम को बंद किया जाए। पिछले कुछ दिनों से नर्मदापुरम से पैदल मार्च निकालकर भोपाल पहुंचे किसानों ने शहर की सीमाओं पर डेरा डाल दिया था और सड़क पर ही अपना विरोध जताया था। हालात को संभालने के लिए प्रशासन और मंत्रियों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि अब 60 प्रतिशत तक मूंग की खरीद की जाएगी और तारीख भी बढ़ाई जाएगी।

किसानों की जीत,
सरकार ने मानी मांगे

जंतर-मंतर प्रदर्शन में लड़की ने पीएम मोदी को दी अभद्र गालियां,रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज

नोएडा,30 जुलाई 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए Gen-Z प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा में रहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का यह कदम प्रदर्शन के दौरान सामने आए वायरल वीडियो के आधार पर उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शन स्थल से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें कुछ लोगों पर आपत्तिजनक भाषा और विवादित टिप्पणियां करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रुचिका सिंह नोएडा की रहने वाली हैं और प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

सीएम विजय का ऐलान...तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को हर हफ्ते मिलेगी चिकन बिरयानी

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड-डे मील को लेकर एक नया प्रस्ताव चर्चा में है। राज्य सरकार हफ्ते में एक दिन छात्रों को चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने यह सुझाव मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सामने रखा है। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग राज्य की मौजूदा मिड-डे मील व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को सप्ताह में एक दिन चिकन बिरयानी देने की योजना है। शिक्षा मंत्री राजमोहन ने इसे राज्य में स्कूली पोषण कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की दिशा में एक संभावित कदम बताया है। मंत्री ने तमिलनाडु में स्कूली भोजन योजना के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि अलग-अलग सरकारों ने समय के साथ इसमें बदलाव किए हैं। अब उनकी इच्छा है कि सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छात्रों को चिकन बिरयानी भी उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री विजय और सरकार की समीक्षा के बाद ही होगा। चिकन बिरयानी के प्रस्ताव के साथ ही सरकारी स्कूलों में मिलने वाले नाश्ते के मेन्यू को भी बदलने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक, मौजूदा बजट करीब 15 रुपये प्रति छात्र है और सरकार चाहती है कि बच्चों को ज्यादा पौष्टिक और पसंद आने वाले विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके तहत गेहूं और रवा उपमा जैसे मौजूदा विकल्पों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि बने बस्तर के मांझी-चालकी

रायपुर,30 जुलाई 2026। बस्तर की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व की गौरवशाली विरासत ने आज राष्ट्रपति भवन में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों,परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों,पद्मश्री सम्मानित विभूतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत किया गया।इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं, परगना मांझी, मांझी, चालकी तथा पद्मश्री सम्मानित विभूतियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में अत्यंत दुर्लभ और आत्मीय दृश्य तब देखने को मिला, जब राष्ट्रपति ने स्वयं सभी अतिथियों को भोजन परोसकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रपति की इस सहज आत्मीयता ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आत्मीय संवाद करते हुए बस्तर की जनजातीय संस्कृति,लोककला,पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था,मांझी-चालकी प्रणाली तथा बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कलाकारों और जनजातीय प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत भारत की अमूल्य धरोहर है और उसका संरक्षण पूरे देश का दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भविष्य में बस्तर दशहरा एवं बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा उनके हृदय को विशेष रूप से स्पर्श करता है। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित प्रतिमा तथा बस्तर दशहरा की अद्वितीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बस्तर दशहरा से विशेष आत्मीय संबंध रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मांझी उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके पिता भी मांझी थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था सामाजिक एकता,सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक संरक्षण की सशक्त आधारशिला है।

बस्तर पंडुम ने संस्कृति को दिलाई नई पहचान : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने बस्तर की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर के कलाकार, शिल्पकार और युवा अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

बस्तर विकास और शांति की नई पहचान बन रहा है...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों और स्थानीय जनभागीदारी के परिणामस्वरूप बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर में आया यह सकारात्मक परिवर्तन पूरे देश के लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है। उन्होंने मांझी एवं चालकी की भूमिका की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि वे समाज और प्रशासन के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति भवन आए हैं, किंतु पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बस्तर की पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को एक साथ देखा है।

संपादकीय

सीजीपीएससी घोटाला
जब व्यवस्था ही कटघरे में हो...
तब केवल गिरफ्तारी काफी नहीं...

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) से जुड़े कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता के मामले में पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उस सवाल को जीवित कर दिया है, जिसने वर्षों से हजारों युवाओं के मन में अविश्वास पैदा कर रखा है–क्या मेहनत और प्रतिभा ही सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी पात्रता है, या फिर व्यवस्था में सेंध लगने से ईमानदार अभ्यर्थी पीछे छूट जाते हैं? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व अध्यक्ष को धनशोधन,कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं,बल्कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा है।

लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थाओं में से एक होता है। यहां से चुने गए अधिकारी भविष्य में प्रशासन की रीढ़ बनते हैं। ऐसे संस्थान पर यदि प्रश्नचिह्न लगते हैं तो नुकसान केवल कुछ अभ्यर्थियों का नहीं होता, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का संदेह लोकतंत्र और सुशासन दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

सीजीपीएससी विवाद ने हजारों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया। वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले अभ्यर्थियों के मन में यह आशंका घर कर गई कि यदि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही तो प्रतिभा का सम्मान कैसे होगा? यही विश्वास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि यह भरोसा कमजोर पड़ता है तो युवाओं का व्यवस्था से विश्वास उठना स्वाभाविक है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध आरोपों का अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा। गिरफ्तारी दोष सिद्ध होने के समान नहीं होती। इसलिए कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। लेकिन यदि जांच में अनियमितताएं सिद्ध होती हैं, तो दोषियों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश बने।

यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति या एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि भर्ती प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित बनाया जाए। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी,परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही,चयन प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट तथा समयबद्ध जांच जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना होगा। साथ ही आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी इतनी पारदर्शी हो कि भविष्य में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न बचे।

आज छत्तीसगढ़ का युवा केवल दोषियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि व्यवस्था में स्थायी सुधार चाहता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि उसकी मेहनत का मूल्य किसी सिफारिश, प्रभाव या कथित भ्रष्टाचार से कम नहीं आंका जाएगा। सरकार, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मामले की निष्पक्ष,पारदर्शी और समयबद्ध जांच पूरी हो तथा यदि दोष सिद्ध हो तो कानून के अनुरूप कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी नौकरी केवल एक नियुक्ति नहीं होती,बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, परिवारों की उम्मीदों और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ी होती है। इसलिए सीजीपीएससी प्रकरण का सबसे बड़ा संदेश यही होना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।

अच्छी पढ़ाई का मतलब किताबें पढ़ना और उत्तर याद करना नहीं

डॉ. विजय गर्ग
मलोट, पंजाब

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर सोचने, समझने,प्रश्न पूछने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना है। दुर्भाग्य से आज भी अनेक विद्यार्थी और अभिभावक अच्छी पढ़ाई का अर्थ केवल किताबें पढ़ना,नोट्स रटना और उत्तर याद करना समझते हैं। यह धारणा न केवल अधूरी है,बल्कि भविष्य की आवश्यक ताओं के अनुरूप भी नहीं है।

वास्तविक शिक्षा तब शुरू होती है जब विद्यार्थी किसी विषय को केवल पढ़ता नहीं,बल्कि उसे समझता है, उस पर विचार करता है और उसे जीवन से जोड़कर देखता है। यदि कोई छात्र विज्ञान के सिद्धांतों को केवल याद कर ले,लेकिन उनका प्रयोग न समझे,तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं,बल्कि समाज और सभ्यता के विकास को समझने का माध्यम है।

आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान और डिजिटल तकनीकों ने कार्य करने के तरीके बदल दिए हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल याद की गई जानकारी का महत्व कम होता जा रहा है,क्योंकि अधिकांश तथ्य कुछ ही सेकंड में इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता है विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार कौशल,सहयोग की भावना और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता की।

अच्छा विद्यार्थी वह नहीं है जो केवल सभी उत्तर याद कर ले,बल्कि वह है जो सही प्रश्न पूछ सके। जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी है। जब बच्चे क्यों,कैसे और क्या होगा यदि जैसे प्रश्न पूछते हैं,तभी उनका बौद्धिक विकास होता है। इसलिए विद्यालयों और परिवारों का दायित्व है कि वे बच्चों की जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करें।

अच्छी पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण भाग अनुभवात्मक शिक्षा भी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करना, पुस्तकालय में विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करना,प्रकृति का अवलोकन करना, परियोजनाओं पर कार्य करना,समूह चर्चा में भाग लेना और समाज से जुड़े वास्तविक अनुभव प्राप्त करना विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा बनाते हैं। इन गतिविधियों से आत्मविश्वास,नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है।

पढ़ाई का अर्थ केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। साहित्य,विज्ञान,जीवनी, इतिहास,दर्शन,पर्यावरण और समसामयिक विषयों का अध्ययन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। विविध विषयों का अध्ययन उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी रटने की संस्कृति से आगे बढ़कर कौशल-आधारित,अनुभवात्मक और बहु विषयक शिक्षा पर बल देती है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है जो केवल परीक्षा में सफल न हों,बल्कि जीवन की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे केवल अंकों पर जोर देंगे,तो बच्चे भी पढ़ाई को अंक प्राप्त करने का साधन मानेंगे। लेकिन यदि वे समझ, जिज्ञासा,रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों को महत्व देंगे,तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पढ़ाई की परिभाषा बदलें। अच्छी पढ़ाई का अर्थ केवल किताबें पढ़ना और उत्तर याद करना नहीं है। अच्छी पढ़ाई का अर्थ है–सोचना, समझना,प्रश्न पूछना,प्रयोग करना, नई चीजें सीखना,गलतियों से सीखना और अपने ज्ञान का उपयोग समाज तथा मानवता के कल्याण के लिए करना। यही शिक्षा व्यक्ति को जीवनभर सीखने वाला बनाती है और उसे भविष्य के लिए तैयार करती है।

जवाबदेही केवल सत्ता की नहीं,समाज की भी होनी चाहिए

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी, हरियाणा

लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे अधिक आग्रह सत्ता और पद पर बैठे लोगों से किया जाता है। किसी मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार हो जाए,किसी अधिकारी के क्षेत्र में अपराध बढ़ जाए,किसी शिक्षक के विद्यालय का परिणाम खराब आ जाए या किसी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए,तो सबसे पहले उसी पदाधिकारी से जवाब मांगा जाता है। यह उचित भी है,क्योंकि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या समाज स्वयं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है? क्या हर अपराध का दोष केवल सरकार,प्रशासन और व्यवस्था पर डाल देना पर्याप्त है? क्या नागरिक होने के नाते हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती?

लोकतंत्र केवल सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र सरकार और समाज की साझी व्यवस्था है। संविधान ने नागरिकों को जितने अधिकार दिए हैं,उतने ही मूल कर्तव्य भी सौंपे हैं। यदि हम केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों को भूल जाएँ,तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि आज अनेक सामाजिक समस्याओं के मूल में केवल प्रशासनिक विफलता नहीं,बल्कि नागरिक उत्तरदायित्व का अभाव भी दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है,हत्या करता है,बलात्कार करता है,साइबर ठगी करता है,नशे का कारोबार करता है या संगठित अपराध का हिस्सा बनता है,तो वह केवल किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करता,बल्कि पूरे समाज की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए कानून और न्यायालय हैं,जो अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड निर्धारित करते हैं। लेकिन इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या अपराध सिद्ध होने के बाद राज्य द्वारा दी जाने वाली कुछ सुविधाओं पर भी पुनर्विचार होना चाहिए? इस विषय पर समय-समय पर बहस होती रही है, विशेषकर जघन्य अपराधों के संदर्भ में।

हालाँकि यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत को समझना आवश्यक है। भारत में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता,न्यायिक प्रक्रिया और मानव गरिमा का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर नहीं,बल्कि विधिसम्मत न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही दंडित किया जा सकता है। साथ ही, राज्य द्वारा मिलने वाली अनेक मूलभूत सुविधाएँ–जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और जीवनरक्षक सहायता–मानवीय और संवैधानिक दायित्वों से भी जुड़ी हैं। अतः किसी अपराध के कारण हर सरकारी सुविधा से आजीवन वंचित कर देना न तो व्यावहारिक है और न ही वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप माना जाएगा।

हाँ,यह अवश्य विचारणीय है कि जिन व्यक्तियों को गंभीर अपराधों में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो,उनके लिए कुछ वैधानिक परिणाम और कठोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव लड़ने की अयोग्यता,सरकारी नौकरी के लिए प्रतिबंध,हथियार लाइसेंस पर रोक,

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

कुछ प्रकार के सरकारी पदों के लिए अयोग्यता,या अपराध की प्रकृति के अनुसार विशेष सरकारी योजनाओं में सीमाएँ–ऐसे विषय कानून बनाकर तय किए जा सकते हैं। लेकिन यह सब न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होना चाहिए।

दूसरी ओर,समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि अपराध केवल पुलिस की विफलता से पैदा नहीं होते। परिवारों में संस्कारों का क्षरण,विद्यालयों में चरित्र निर्माण पर घटता ध्यान,सोशल मीडिया पर फैलती हिंसक और घृणास्पद सामग्री, नशे का बढ़ता प्रभाव और कानून तोड़ने को चालाकी समझने वाली मानसिकता भी अपराधों को जन्म देती है। यदि समाज इन कारणों पर मौन रहेगा,तो केवल सरकार बदलने से अपराध समाप्त नहीं होंगे।

आज हम अक्सर देखते हैं कि सड़क दुर्घटना हो तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, फिर सरकार को दोष देते हैं। टैक्स चोरी स्वयं करते हैं,फिर विकास कार्यों की कमी पर शिकायत करते हैं। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों समाज से ही आते हैं। अवैध निर्माण नागरिक करते हैं और दोष प्रशासन को मिलता है। परीक्षा में नकल विद्यार्थी करते हैं,लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण अधूरा है। जवाबदेही का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मानुशासन भी है। यदि नागरिक स्वयं कानून का पालन करें, अपराध की सूचना दें,गवाह बनने से न डरें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें,तो अपराधों की संख्या स्वाभाविक रूप से घट सकती है। एक जागरूक समाज किसी भी पुलिस बल से अधिक प्रभावी सुरक्षा कवच बन सकता है।

इस संदर्भ में पुनर्वास की अवधारणा को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सभी अपराध एक जैसे नहीं होते और सभी अपराधी भी एक जैसे नहीं होते। अनेक लोग परिस्थितियों,अपरिपक्वता या गलत संगति के कारण अपराध की ओर चले जाते हैं और बाद में सुधार भी करते हैं। आधुनिक न्याय व्यवस्था केवल दंड पर नहीं,बल्कि सुधार और पुनर्स्थापन पर भी बल देती है। यदि समाज किसी व्यक्ति को सुधार का अवसर ही न दे,तो उसके पुनः अपराध की ओर लौटने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए कठोरता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन आवश्यक है।

लोकतंत्र में यह सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राज्य का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं,बल्कि एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का निर्माण करना है। इसलिए नीतियाँ ऐसी होनी चाहिएँ जो अपराध को हतोत्साहित करें,पीड़ितों को न्याय दें,दोषियों को कानूनसम्मत दंड दें और जहाँ संभव हो, सुधार का अवसर भी उपलब्ध कराएँ।

इसी प्रकार पद पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही भी कम नहीं हो सकती। यदि कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता,कोई मंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है या कोई जनप्रतिनिधि अपने संवैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकार और जवाबदेही का संबंध दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है–सत्ता पर भी और समाज पर भी।

भारत को यदि वास्तव में अपराध-मुक्त, अनुशासित और उत्तरदायी राष्ट्र बनाना है, तो हमें केवल सरकार जिम्मेदार है और केवल जनता दोषी है जैसी अतिवादी सोच से आगे बढ़ना होगा। अपराध रोकना सरकार,न्यायपालिका,पुलिस, परिवार,विद्यालय, मीडिया और नागरिक–सभी की साझा जिम्मेदारी है। एक पक्ष की विफलता दूसरे पक्ष को दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती।

अंततः,लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलें। पद पर बैठे व्यक्ति अपनी जवाबदेही निभाएँ, कानून निष्पक्ष रूप से लागू हो और नागरिक भी अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी बनें। समाज तब ही सशक्त होगा जब न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं,स्वयं पर भी समान रूप से लागू करने की मानसिकता विकसित होगी। जवाबदेही का दायरा जितना व्यापक होगा,लोकतंत्र उतना ही मजबूत,न्यायपूर्ण और विश्वासपूर्ण बनेगा।यदि चाहें, मैं इसी विषय पर अधिक तीखा,राजनीतिक-व्यंग्यात्मक या अख़बार के संपादकीय शैली वाला संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ।

आस्था की भव्यता अब प्रकृति को बोझ बनाती जा रही है

उत्सव नहीं बदले,हमने उन्हें मनाने का विवेक खो दिया
धरती का गीत गाते थे हमारे त्योहार,अब हम उसे चुप करा रहे हैं...

प्रो.रितेश कुमार जैन
बड़वानी, मध्यप्रदेश

उत्सव कभी केवल मनुष्य के आयोजन नहीं थे;वे प्रकृति के साथ हमारी मौन आत्मीयता के प्रतीक थे। हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने सिखाया कि आनंद तभी पूर्ण है,जब उसमें धरती, जल,वायु और समस्त जीवन के प्रति सम्मान हो। पर आज उत्सव जितने भव्य हुए हैं,उनका पर्यावरणीय बोझ भी उतना ही बढ़ा है। रोशनी,रंग और उल्लास के बीच प्लास्टिक की थैलियां,डिस्पोजेबल बर्तन और कृत्रिम सजावट हर पर्व का सामान्य हिस्सा बन चुके हैं। उत्सव समाप्त होते ही यही कचरा सड़कों,नालों, नदियों और सार्वजनिक स्थलों पर बिखर जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि प्लास्टिक बढ़ रहा है,बल्कि यह है कि जिस प्रकृति ने उत्सव को संभव बनाया, वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाती है। प्रश्न केवल प्लास्टिक का नहीं,उस सांस्कृतिक चेतना का है,जिसमें कभी उत्सव और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक थे। सभ्यताएँ त्योहार बदलने से नहीं,उनके स्वभाव बदलने से बदलती हैं। कभी पर्वों की तैयारी मिट्टी,पत्तों,बांस,कपास और प्राकृतिक रेशों से होती थी। पूजा, प्रसाद और सजावट–सब कुछ प्रकृति से आता था और अपना उद्देश्य पूरा कर उसी में सहज विलीन हो जाता था। आज सुविधा,चमक और क्षणिक आकर्षण ने उस स्वाभाविक संतुलन को विस्थापित कर दिया है। परिणामस्वरूप, त्योहारों के दौरान शहरों में सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। यही कचरा नदियों में बहकर, मिट्टी में दबकर और वातावरण में फैलकर सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में बदल जाता है। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, पर धीरे-धीरे जल,भूमि,वायु और पूरे जीवन चक्र को विषाक्त करता रहता है। सुविधा ने जीवन सरल अवश्य किया है,पर उसके पर्यावरणीय मूल्य का लेखा-जोखा आज भी अधूरा है।

समाधान भविष्य की प्रयोगशालाओं में नहीं,हमारी सांस्कृतिक स्मृति में है। भारतीय परंपरा ने प्रकृति को कभी संसाधन नहीं,बल्कि जीवन का सहचर माना। इसलिए प्राकृतिक बर्तन,सजावट और पैकेजिंग केवल उपयोग की वस्तुएँ नहीं थीं,बल्कि ऐसी जीवन-दृष्टि का हिस्सा थीं,जिसमें उपभोग और संरक्षण साथ चलते थे। आज जब कुछ समुदाय सूती बैनरों,बागास की प्लेटों,प्राकृतिक रेशों और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपना रहे हैं,तो वे केवल पुराने साधन नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक विवेक को पुनर्जीवित कर रहे हैं,जिसने सदियों तक प्रकृति और समाज का संतुलन बनाए रखा। यह परिवर्तन सिद्ध करता है कि उत्सव की भव्यता और पर्यावरण संरक्षण विरोधी नहीं,पूरक हैं। आधुनिकता तभी सार्थक है,जब वह परंपरा की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नए साधनों का विवेकपूर्ण चयन करे।

आस्था की सबसे बड़ी पहचान उसकी भव्यता नहीं,बल्कि उसके बाद बचने वाली स्वच्छता है। प्रत्येक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव पवित्रता,स्वच्छता और सामूहिक अनुशासन का संदेश देता है। इसलिए यदि उत्सव स्थल प्लास्टिक मुक्त हों,प्रसाद वितरण में प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएँ और आयोजन के बाद सफाई को केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संस्कार माना जाए, तो पर्वों का उद्देश्य और अधिक सार्थक हो जाएगा। अनेक समुदाय इस दिशा में प्रेरक उदाहरण बन चुके हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहा जा सकता है। जब श्रद्धा के साथ पर्यावरण-बोध जुड़ता है,तब उत्सव केवल परंपरा का निर्वाह नहीं करते, बल्कि समाज के लिए आदर्श आचरण भी गढ़ते हैं।

प्लास्टिक ने केवल पर्यावरण को ही नहीं,हमारे कारीगरों की आजीविका को भी गहरी चोट पहुंचाई है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले,बांस के शिल्पकार तथा सूत और प्राकृतिक रंगों से जुड़े कारीगर कभी त्योहारों की पहचान थे। प्लास्टिक आधारित वस्तुओं की बढ़ती निर्भरता ने उनकी उपयोगिता और रोजगार,दोनों को सीमित कर दिया। यदि प्राकृतिक सामग्रियों से बने उत्पादों को फिर प्राथमिकता मिले,तो स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा,रोजगार को विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्लास्टिक कचरा घटने से नगर निकायों और अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। यदि कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही सुनिश्चित हो,तो अपशिष्ट प्रबंधन अधिक प्रभावी और कम खर्चीला बन सकता है। यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी सशक्त आधार बन सकता है।

हर पीढ़ी केवल अपने त्योहारों का स्वरूप नहीं चुनती,वह आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी गढ़ती है। आज के छोटे-छोटे निर्णय ही कल की पर्यावरणीय धरोहर बनते हैं। यदि सुविधा की क्षणभंगुर चमक ही उत्सवों की पहचान बन गई,तो आने वाली पीढ़ियाँ प्रदूषित जल,क्षीण होती मिट्टी और विषाक्त वातावरण की कीमत चुकाएँगी। किंतु यदि परंपरा का हाथ फिर पर्यावरणीय चेतना से जुड़ गया,तो यही पर्व प्रकृति और समाज के बीच विश्वास, संतुलन और सहअस्तित्व का नया सेतु बनेंगे। एक प्राकृतिक थैली, मिट्टी का बर्तन, पर्यावरण-अनुकूल सजावट और कचरे का पृथक्करण–ये साधारण प्रतीत होने वाले कदम ही असाधारण परिवर्तन की आधारशिला बनते हैं। विरासत केवल स्मारकों और ग्रंथों में नहीं बसती; वह हमारे व्यवहार,प्राथमिकताओं और सामूहिक जीवन-मूल्यों में भी जीवित रहती है।

त्योहारों की सफलता का आकलन अब केवल रोशनी और भीड़ से नहीं, बल्कि उनके पर्यावरणीय पदचिह्नों से भी होना चाहिए। संस्कृति तभी जीवित रहती है,जब वह अपने मूल्यों को समयानुकूल अभिव्यक्ति देती रहे। पर्यावरण और धार्मिक परंपराओं में कोई टकराव नहीं; टकराव केवल उस सुविधा-प्रधान सोच से है, जिसने प्रकृति को उत्सव का सहभागी नहीं,उपभोग का साधन बना दिया। जिस दिन समाज यह स्वीकार कर लेगा कि पर्यावरण की रक्षा भी परंपराओं के निर्वाह जितनी ही पवित्र है,उसी दिन उत्सव अपने वास्तविक अर्थ में फिर जीवन का उत्सव बन जाएंगे। तब हमारे पर्व केवल हृदयों को नहीं जोड़ेंगे,बल्कि धरती को भी राहत देंगे;केवल परंपराओं का संरक्षण नहीं करेंगे,बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल, उर्वर मिट्टी और संतुलित प्रकृति की अमूल्य विरासत भी छोड़ जाएंगे।

भ्रम का विसर्जन

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़
छत्तीसगढ़

हां हम छोड़ेंगे,
तुमसे डरना छोड़ेंगे,
सदियों का जो गुरूर
पाल रखे हो मन में
वो भ्रम भी तोड़ेंगे,

डरना हमारी बपौती नहीं था,
वो थी हमारी मजबूरी,
अब खाल खींच लेंगे
तुम्हारे ओछी अकड़,
तुम्हें अंदाजा नहीं
हमारे पकड़ की,

गुड़ खाने वालों,
क्यों है तुम्हें
परहेज गुलगुलों से,
कर जाते हो ज्यादती
कपोत और बुलबुलों से,

तुमने जो बांटी थी
नफ़रत की दीवारें,
तुमने जो रची थी
ऊंच-नीच की कतारें,
अब उन बेड़ियों को
जड़ से उखाड़ रहे हैं,
तुम्हारे पाखंड का
पन्ना-पन्ना फाड़ रहे हैं,

अब न कोई दबा कुचला,
न कोई लाचार रहेगा,
बराबर का हक होगा,
बराबर का अधिकार रहेगा,

उठ खड़ा हुआ है अब
इंसानियत का सैलाब,
मांग रहा है तुमसे
सदियों का हिसाब,

पहचान लिया है हमने
तुम्हारी चालों को,
अब ढहा रहे हैं
तुम्हारे इन महलों को,

सुन लो ओ हुक्मरानों,
अब न कोई दबेगा,
न कोई झुकेगा,
क्रांति का यह कारवां
अब कहीं न रुकेगा,

तुम्हारी चौखट से अब
सत्ता का डर खत्म कर रहे हैं,
और जो तुमने फैलाई थी,
उस जातीयता को भी।

सावन मास प्रकृति और शिव के प्रति समर्पण का अवसर

दुर्गेश्वर राय
गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

भारतीय पंचांग और जनमानस में सावन का महीना आस्था, उल्लास और प्रकृति के पुनर्जन्म का एक जीवंत कालखंड है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,सावन या श्रावण मास की शुरुआत तब होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 22 वें नक्षत्र श्रवण में विराजमान होते हैं। इसी पवित्र नक्षत्र के नाम पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ा है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति में जल तत्त्व की प्रधानता अत्यधिक हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा के विशेष गोचर के कारण पृथ्वी का वायुमंडल नमी और शीतलता से भर जाता है, जिसे ज्योतिष और योग विज्ञान में आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने,ध्यान-साधना और मानसिक शांति के लिए अनुकूल माना गया है।

सनातन परंपरा में सावन की धार्मिक मान्यता और महत्व सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक इतिहास और कथाओं के अनुसार, इसी पवित्र महीने में देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर महादेव ने पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। विष के उस तीव्र ताप को शांत करने के लिए सभी देवी-देवताओं ने उन पर पवित्र गंगाजल और शीतल जल अर्पित किया था,जिससे जलाभिषेक की शाश्वत परंपरा का जन्म हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव उपासना और सोमवार के व्रतों का विशेष महत्व है, जो मनुष्य के भीतर छिपे विकारों को नष्ट कर आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

सावन में प्रकृति और पर्यावरण भी एक सक्रिय साधक की तरह प्रतिभाग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की झुलसाने वाली गर्मी के बाद जब मानसून की पहली फुहारें धरती पर गिरती हैं,तो पूरी प्रकृति हरे रंग की चुनर ओढ़ लेती है। सूखे पेड़-पौधे, नदियाँ और ताल-तलैया नवजीवन से लबालब भर उठते हैं। पर्यावरण का यह उल्लास सीधे तौर पर हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाता है। खेतों में लहलहाती फसलें किसानों के चेहरों पर जहाँ नई उम्मीद और मुस्कान लाती हैं,वहीं गाँवों और कस्बों में पेड़ों पर पड़ने वाले झूले, कजरी और मल्हार के गीत आपसी प्रेम,भाईचारे और सौहार्द का सुंदर ताना-बाना बुनते हैं। यह महीना ऊँच-नीच के भेदों को मिटाकर समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है।

भारत की समृद्ध संस्कृति और प्राचीन साहित्य में सावन की चर्चा हर कालखंड में बहुत गहराई से मिलती है। महाकवि कालिदास के मेघदूतम् से लेकर सूरदास, तुलसीदास के पदों और विभिन्न अंचलों के लोकगीतों तक,सावन के बादलों को प्रेम, विरह,श्रृंगार और ईश्वर से मिलन के जीवंत प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस महीने को मनाने के तरीके हमारी विविधता में एकता का दर्शन कराते हैं। उत्तर भारत में जहाँ विशाल कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, हरियाली तीज और रक्षाबंधन की धूम होती है,वहीं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों में श्रावण पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है,जहाँ मछुआरे और आम जन समुद्र देव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में यद्यपि पंचांग की गणना अमावस्यांत कैलेंडर के कारण तिथियां थोड़ी भिन्न होती हैं, लेकिन वहाँ भी मानसून के आगमन और शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का उत्साह और उमंग बिल्कुल समान होता है।

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि सावन चातुर्मास का वह अहम समय होता था जब प्राचीन काल में व्यापारिक और सैन्य यात्राएँ रोक दी जाती थीं। संत-महात्मा, विद्वान और यहाँ तक कि राजा-महाराजा भी एक ही स्थान पर रुककर अपना समय धर्म, साहित्य, कला और जनकल्याण के चिंतन में व्यतीत करते थे।

वर्तमान में सावन का यह उत्सव अपने पारंपरिक स्वरूप के साथ-साथ आधुनिकता के रंग में भी पूरी तरह ढल चुका है। आज के समय में लोग मंदिरों में जाकर रुद्राभिषेक तो करते ही हैं,साथ ही शहरी जीवन में तीज मिलन समारोह, डिजाइनर परिधानों के साथ सांस्कृतिक संध्याएं और सोशल मीडिया के माध्यम से भक्ति गीतों का आनंद भी लेते हैं। युवा वर्ग पूरे जोश और ऊर्जा के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता है,जिसमें अब आधुनिक सुविधाएं,डीजे की धुनें और समाजसेवियों द्वारा लगाए गए विशाल सेवा शिविर भी देखने को मिलते हैं, जो इस प्राचीन पर्व को एक नया सामाजिक विस्तार देते हैं। इस वर्ष सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से आरंभ होकर 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा। इस पावन मास में शिवभक्तों के लिए सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है,जो क्रमशः 3 अगस्त,10 अगस्त,17 अगस्त और 24 अगस्त को रखे जाएंगे। व्रतों और त्योहारों की इस सतत श्रृंखला में 9 अगस्त को कामिका एकादशी का व्रत एवं सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनेगा जिसमें जलाभिषेक सर्वाधिक पुण्य माना जाता है। इसके पश्चात 15 अगस्त को सुहागिन स्त्रियों का प्रिय पर्व हरियाली तीज मनाया जाएगा,जिसमें वे माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान दर्शाने वाला नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा और 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अंततः 28 अगस्त को भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व और श्रावण पूर्णिमा के साथ ही भक्ति,उल्लास और सामाजिक समरसता से भरा यह सावन मास अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। सावन का यह पूरा कालखंड मनुष्य को यह सिखाता है कि जिस तरह बारिश की बूंदें धरती की तपन बुझाती हैं,उसी तरह ईश्वर की भक्ति और प्रकृति का सान्निध्य मनुष्य के मन की हर पीड़ा को हर कर उसे नवजीवन से भर देता है।

जीवन में पहली सफलता
के बाद रुकें नहीं,
क्योंकि यदि आप
दूसरे प्रयास में
असफल हो गये,
तो लोग यही कहेंगे कि
आपकी पहली सफलता
भाग्य की वजह से मिली।

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

1.82 करोड़ से अधिक के कथित गबन मामले में हाईकोर्ट सख्त,4 सप्ताह में चालान पेश करने का आदेश

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड अंबिकापुर के अधिकारियों व ठेकेदारों पर फर्जी ईपीएफ-ईएसआईसी दस्तावेजों से भुगतान का आरोप,एक साल बाद भी न गिरफ्तारी न चालान,हाईकोर्ट की फटकार के बाद तेज हुई कार्रवाई की उम्मीद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) अंबिकापुर के करोड़ों रुपये के कथित गबन और फर्जी भुगतान मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस को चार सप्ताह के भीतर विवेचना पूरी कर अंतिम प्रतिवेदन (चालान) न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। मामला थाना कोतवाली अंबिकापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 282/2025 से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409,419,420,467, 468 एवं 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह मामला अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डी.के. सोनी की पहल पर न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज हुआ था। आरोप है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ईपीएफ, बोनस और ईएसआईसी मद में करोड़ों रुपये का भुगतान कराया गया।

कार्यपालन निदेशक की जांच में सामने आई अनियमितताएं : कार्यपालन निदेशक (अंचल) अंबिकापुर की 24 फरवरी

2023 की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स,मैट्रिक्स सर्विसेज तथा गुरुकृपा ग्रुप के भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जांच में पाया गया कि कई मामलों में कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति से अधिक भुगतान किया गया तथा ईपीएफ और ईएसआईसी चालानों का सत्यापन किए बिना ही देयक पारित कर दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार कई देयकों के साथ संलग्न ईपीएफ चालान कथित रूप से फर्जी तरीके से परिवर्तित कर लगाए गए थे। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना भुगतान स्वीकृत कर दिया।

करीब 1.83 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान का आरोप...

जांच रिपोर्ट के अनुसार-आर.के. एसोसिएट्स को विभिन्न मदों में लगभग 20.86 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। मैट्रिक्स सर्विसेज को उपस्थिति और ईपीएफ दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी के कारण लगभग 1.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ। कुल मिलाकर तीनों प्रकरणों में 1,82,86,907 रुपये के अधिक भुगतान का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया गया है। जांच में यह भी कहा गया कि वास्तविक उपस्थिति पत्रक,ईपीएफ और ईएसआईसी दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना भुगतान करना अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत को दर्शाता है।

सीजेएम के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने प्रथम दृष्टया मामले में अपराध बनना मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोतवाली अंबिकापुर में अपराध दर्ज किया गया।

एक वर्ष बाद भी न गिरफ्तारी,न चालान...

याचिका के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं निरस्त होने के बावजूद पुलिस ने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और न ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। इसी के बाद डॉ. डी.के. सोनी ने हाईकोर्ट में डब्ल्यूपीसीआर क्रमांक 357/2026 दायर की।

हाईकोर्ट का निर्देश...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने 3 जुलाई 2026 को पारित आदेश में पुलिस को अपराध क्रमांक 282/2025 की विवेचना शीघ्र पूर्ण कर चार सप्ताह के भीतर अंतिम प्रतिवेदन (चालान) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

खाट पर घायल युवक को एक किलोमीटर तक कंधों पर ढोया

रेवापुर में सड़क नहीं,एंबुलेंस तक पहुंचाने में ग्रामीणों को करनी पड़ी मशक्कत

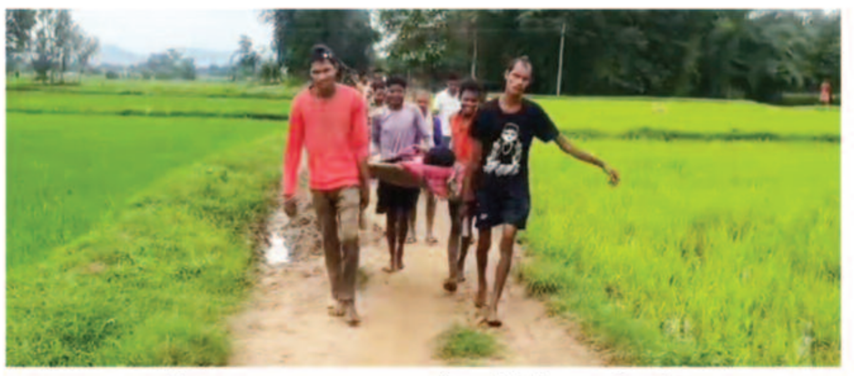

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रेवापुर में सड़क सुविधा के अभाव की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। गांव के एक युवक के पेट में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को करीब एक किलोमीटर तक खटिया पर उठाकर ले जाना पड़ा, तब कहीं जाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया जा सका। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गांव में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक सड़क नहीं होने से आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना बेहद कठिन हो जाता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो घायल की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

उनका कहना है कि सड़क निर्माण की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। यह गांव लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज के विधानसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में घटना के बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आज भी यदि मरीजों को खटिया पर ढोकर एंबुलेंस तक पहुंचाना पड़ रहा है,तो यह ग्रामीण विकास के दावों की वास्तविक तस्वीर है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक किया जाता है और गांव को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा कब उपलब्ध कराई जाती है।

भूमि अधिग्रहण और ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को लेकर किसान सभा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मदननगर के ग्रामीणों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने, पुलिस कार्रवाई रोकने और संवाद से समाधान की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ किसान सभा,सरगुजा जिला समिति ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरगुजा जिले के ग्राम मदननगर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण,ग्रामीणों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण तथा पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। संगठन ने इन मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर समाधान निकालने की मांग की है। ज्ञापन में किसान सभा ने आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं,जिससे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। संगठन ने मांग की कि ग्रामीणों पर दर्ज सभी प्रकरण वापस लिए जाएं तथा पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। किसान सभा ने राज्य की भूमि अधिग्रहण नीति की समीक्षा की भी मांग की। संगठन का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों और आदिवासियों का विस्थापन उचित नहीं है। ज्ञापन में कहा गया कि विकास के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास,उचित मुआवजा और सम्मानजनक आजीविका की भी गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा भूमि अधिग्रहण,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के सभी प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाए। किसान सभा का कहना है कि केवल आर्थिक मुआवजा पर्याप्त नहीं है,बल्कि प्रभावित परिवारों के दीर्घकालिक पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा भी आवश्यक है। संगठन ने सरकार से अपील की कि क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ सकारात्मक वार्ता की जाए तथा विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए,ताकि विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित हो सके। ज्ञापन छत्तीसगढ़ किसान सभा,सरगुजा जिला समिति के सचिव सी.पी. शुक्ल की ओर से जारी किया गया।

गुरु पूर्णिमा पर भाजपा मंडल महामाया ने किया दीप प्रज्ज्वलन,पुजारियों का सम्मान

समरसता संकल्प अभियान के तहत विभिन्न मंदिरों में हुए कार्यक्रम,सामाजिक एकता का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा मंडल महामाया ने माँ महामाया मंदिर में दर्शन-पूजन, दीप प्रज्ज्वलन एवं महाआरती का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों का अंगवस्त्र एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया तथा सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु के प्रति श्रद्धा का पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, सेवा,अनुशासन और समाज के प्रति दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और उनके आदर्श समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। अभियान के तहत भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने भी शहर के अलग-अलग मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन कर समरसता का संदेश दिया। युवा मोर्चा ने स्कूल रोड स्थित हनुमान मंदिर, महिला मोर्चा ने जोड़पीपल शिव मंदिर, किसान मोर्चा ने काली मंदिर,पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पुलिस लाइन स्थित गौरी मंदिर तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने माँ महामाया मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव,भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,बस्तर सह-प्रभारी हरपाल सिंह भामरा, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. अंबिकेश केसरी,महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फुलेश्वरी सिंह,नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला महामंत्री विनोद हर्ष,अरुणा सिंह, महामाया मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी सहित भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता,सांस्कृतिक चेतना और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया गया।

चार साल बाद भी अधूरा 50 बिस्तर अस्पताल,मरीज भुगत रहे राजनीति की कीमत

लखनपुर में भवन निर्माण अटका,जगह की कमी से एक बेड पर दो मरीजों का इलाज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर

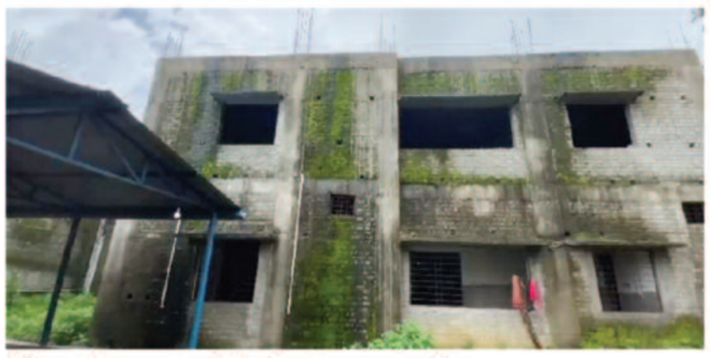

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन चार-पांच साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य अधूरा रहने से क्षेत्र के हजारों मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मौजूदा अस्पताल में जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। यह अस्पताल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। भूमिपूजन के बाद निर्माण शुरू हुआ,लेकिन लंबे समय से काम बंद पड़ा है। भवन अधूरा होने से अस्पताल प्रबंधन सीमित कमरों में ही ओपीडी,भर्ती मरीजों और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने को मजबूर है। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 74 ग्राम पंचायतों के लोगों की निर्भरता है। इसके अंतर्गत तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कई उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। रेफर मरीजों,गर्भवती महिलाओं और सामान्य मरीजों की संख्या अधिक होने से अस्पताल में लगातार बेड की कमी बनी रहती है। प्रसव कक्ष टूटने के बाद वैकल्पिक कमरे में प्रसव कराए जा रहे हैं,जबकि दवाओं के सुरक्षित भंडारण में भी परेशानी हो रही है।

निर्माण पर सियासत तेज : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने निर्माण कार्य रुकने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार बदलने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जनता का पैसा है और मौजूदा सरकार को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराना चाहिए। वहीं भाजपा लखनपुर मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने निर्माण में देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ठेकेदार की धीमी कार्यप्रणाली के कारण कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उसे ब्लैकलिस्ट कर नए सिरे से टेंडर जारी कर निर्माण पूरा कराया जाएगा।

ठेकेदार ने भुगतान नहीं मिलने का लगाया आरोप...

दूसरी ओर ठेकेदार का कहना है कि भवन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। विभाग से भुगतान नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा। भुगतान होने के बाद ही शेष कार्य शुरू किया जाएगा।

बीएमओ बोले...जल्द होगा नया टेंडर

बीएमओ लखनपुर ने स्वीकार किया कि भवन अधूरा होने से अस्पताल में कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री के निर्देश पर जल्द नया टेंडर जारी करने की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद निर्माण कार्य फिर शुरू होने की उम्मीद है। अस्पताल भवन का निर्माण पूरा होने का इंतजार अब केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं,बल्कि पूरे लखनपुर क्षेत्र के हजारों मरीज और ग्रामीण भी कर रहे हैं। फिलहाल अधूरा भवन स्वास्थ्य सुविधाओं से अधिक राजनीतिक खींचतान का प्रतीक बन गया है।

अच्छा नेता वही,जो जनता की सुने...माउंट लिटेरा में बच्चों के सवालों से घिरे टी.एस. सिंहदेव

डेढ़ घंटे तक छात्रों ने नेतृत्व,अनुशासन और महतारी वंदन योजना पर पूछे बेबाक सवाल सिंहदेव बोले...केवल अंक नहीं,चरित्र,कौशल और अनुशासन भी सफलता की कुंजी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की प्रेरणा से सरगुजा जिला एनएसयूआई ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 'छात्र संवाद' अभियान की शुरुआत की है। अभियान का पहला कार्यक्रम शहर के निजी विद्यालय माउंट लिटेरा स्कूल में आयोजित हुआ, जहां सिंहदेव ने करीब डेढ़ घंटे तक स्कूली विद्यार्थियों के जिज्ञासापूर्ण और गंभीर सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी के व्यवहारिक अनुभवों,शासन-प्रशासन से उनकी अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक एवं सामाजिक व्यवस्था को लेकर उनके विचारों को समझना और उनसे संवाद स्थापित करना है। इस दौरान विद्यार्थियों ने नेतृत्व की परिभाषा,नागरिकों में अनुशासन की कमी,दूसरे देशों से तुलना तथा महतारी वंदन योजना जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं की उपयोगिता पर खुलकर सवाल किए। एक छात्र के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि 'अच्छा नेता वही होता है,जो जनता की बात सुनकर उनके हित और कल्याण के लिए कार्य करे।' वहीं नागरिक अनुशासन पर उन्होंने कहा कि केवल दबाव बनाकर अनुशासन नहीं लाया जा सकता। स्वच्छता,सफाई और यातायात जैसे विषयों में प्रत्येक नागरिक को स्वयं अनुशासित होना होगा,तभी समाज और देश वास्तविक अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। विद्यार्थियों ने महतारी वंदन योजना की राशि को विकास कार्यों में खर्च करने का सुझाव भी रखा। इस पर सिंहदेव ने कहा कि भारतीय राज्य की मूल अवधारणा लोककल्याण से जुड़ी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता देना सरकार का दायित्व है और उनकी आय में वृद्धि भी विकास की प्रक्रिया को गति देती है।

कार्यक्रम के अंत में सिंहदेव ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता केवल अच्छे अंक हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दृष्टिकोण,मजबूत चरित्र,बेहतर कौशल और अनुशासित जीवनशैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर माउंट लिटेरा स्कूल के शिक्षक के.पी. दीक्षित,राजू अग्रवाल, दीपेश गुप्ता,नितेश मेहता,प्रतीक दीक्षित और डॉ. बृजेश पांडेय सहित एनएसयूआईजिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल,आलोक सिंह,नीतीश चौरसिया,सतीश बारी,धीरज गुप्ता,अंकित जायसवाल,अतुल यादव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एनएसयूआई ने बताया कि 'छात्र संवाद'अभियान पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की उपस्थिति में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में आगे भी लगातार आयोजित किया जाएगा।

राजपुर की सर्व नवीन सोनार समाज इकाई को सामाजिक सेवा के लिए मिला विशेष सम्मान

राजपुर,30 जुलाई
2026(घटती-घटना)।

सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजपुर की सर्व नवीन सोनार समाज इकाई को सरगुजा संभाग स्तरीय सम्मेलन में विशेष सम्मान से नवाजा गया। अंबिकापुर के होटल अलंकार ग्रीन में आयोजित सम्मान समारोह एवं सामाजिक सम्मेलन में समाज की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया।कार्यक्रम में राजपुर इकाई के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी सहित पदाधिकारियों को शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों से समाज के पदाधिकारी,वरिष्ठजन और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने राजपुर इकाई द्वारा संचालित जनकल्याणकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि कन्या विवाह सहायता, वृद्धजन सहयोग, दाह संस्कार सहायता, मंदिरों में भंडारा, पक्षियों के लिए दाना-पानी, पशुओं के लिए चारा एवं पेयजल तथा गर्मी में राहगीरों के लिए प्याऊ जैसी योजनाओं से समाज में सेवा और सहयोग की भावना मजबूत हुई है। सम्मान के बाद अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि यह सम्मान पूरे राजपुर समाज का सम्मान है। उन्होंने सभी सदस्यों, वरिष्ठजनों एवं मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा के कार्यों को भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से जारी रखने का संकल्प दोहराया।

गालियां लिखवाने के मामले में स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी

शिक्षिका निलंबित,डीईओ ने दिए जांच के निर्देश छात्र संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी..

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

BIRLA
OPEN MINDS
INTERNATIONAL SCHOOL

छात्र से कॉपी में उसकी मां के लिए अश्लील गालियां 100 से अधिक बार लिखवाने के मामले में बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षिका ने छात्र को उसकी नोटबुक में मां के लिए अश्लील शब्द बार-बार लिखने के लिए कहा था। इतना ही नहीं,कॉपी परिजनों को दिखाने के उद्देश्य से छात्र को घर भी भेज दी गई। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी फैल गई। घटना के बाद छात्र संगठनों ने भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश जारी किए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के मार्केटिंग हेड उत्कर्ष किरण ने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्था ऐसी घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं करती। संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 से परीक्षा माफिया पर कसेगा शिकंजाः कृष्णकांत चंद्रा

लोकसभा में विधेयक पारित होने का भाजपा जिला प्रभारी ने किया स्वागत,बोले...करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भाजपा सरगुजा जिला प्रभारी कृष्णकांत चंद्रा ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के हित में लिया गया ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और प्रतिभा की सुरक्षा के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है तथा यह संशोधन उसी संकल्प का प्रमाण है। कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का आधार होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक,नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी घटनाएं न केवल प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। उनका कहना है कि नए संशोधन से ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया,संगठित गिरोहों और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी,जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी,उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी। भाजपा जिला प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, कौशल विकास,रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता जैसे अनेक कदमों के माध्यम से युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने वाला यह संशोधन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,जिससे मेहनती और योग्य युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा,जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के आधार पर निष्पक्ष अवसर मिलेंगे। यह संशोधन ईमानदार प्रतिभाओं को संरक्षण देने और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले में एमएमडी टीकाकरण अभियान की होगी गांव-गांव जांच,लेकिन क्या जांच का दायरा सीमित कर दबाया जा रहा मामला?

'घटती-घटना' की खबर के बाद हरकत में आया पशुधन विकास अभिकरण,अब जांच की निष्पक्षता पर उठने लगे सवाल

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। पशुधन विभाग के फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद शासन हरकत में आ गया है,दैनिक 'घटती-घटना' द्वारा प्रकाशित खबर का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, रायपुर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं,आदेश में जिला स्तर पर टीम गठित कर गांव-गांव जाकर टीकाकरण की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं,हालांकि, जांच के आदेश जारी होने के साथ ही जांच की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच का दायरा सीमित किया जा रहा है और पूरे मामले की तह तक जाने के बजाय इसे केवल औपचारिकता तक सीमित रखने की कोशिश हो रही है।

गांव-गांव जाकर होगी जांच...

राज्य पशुधन विकास अभिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जांच टीम को केवल कार्यालयीन रिकॉर्ड देखने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि प्रत्येक गांव में जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना होगा, जांच के दौरान प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की जाएगी, गांववार टीकाकरण का भौतिक सत्यापन,पशुपालकों से सीधे पूछताछ, पोर्टल पर दर्ज टीकाकरण आंकड़ों का वास्तविक स्थिति से मिलान, अपलोड किए गए फोटो एवं दस्तावेजों का सत्यापन,प्राप्त टीकों की मात्रा और उनके उपयोग का परीक्षण, टीकाकरण दलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा, इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि शासन केवल कागजी रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं करना चाहता, बल्कि वास्तविक स्थिति जानने के लिए जमीनी स्तर पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

खबर के बाद हरकत में आया शासन

एफएमडी टीकाकरण अभियान को लेकर प्रकाशित समाचार में यह सवाल उठाया गया था कि क्या बिना वास्तविक टीकाकरण किए ही पोर्टल पर शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर दी गई? क्या रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में अंतर है? समाचार प्रकाशित होने के बाद शासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए,जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है।

अब जांच पर ही उठ रहे सवाल...

जांच शुरू होने से पहले ही शिकायतकर्ताओं ने उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं,उनका आरोप है कि जांच टीम शिकायतकर्ताओं से ही बार-बार जानकारी लेकर मामले को सीमित करने का प्रयास कर रही है,शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष है तो उसका उद्देश्य पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना होना चाहिए,न कि केवल शिकायतकर्ता से जानकारी लेकर औपचारिक रिपोर्ट तैयार करना।

क्या केवल खड़गवां तक सीमित रहेगी जांच?

सबसे बड़ा सवाल जांच के दायरे को लेकर उठ रहा है, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कथित अनियमितताएं केवल खड़गवां विकासखंड तक सीमित नहीं हैं,बल्कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले के अन्य क्षेत्रों से भी शिकायतें सामने आई हैं, ऐसे में यदि जांच केवल एक विकासखंड तक सीमित रहती है तो पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी।

शासन के आदेश ने भी खड़े किए कई सवाल...

जांच के आदेश जारी होने के बाद कई अहम सवाल स्वतः खड़े हो गए हैं यदि पूरा टीकाकरण अभियान नियमों के अनुसार हुआ था, तो जांच के आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बिना वास्तविक टीकाकरण किए पोर्टल पर शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर दी गई? क्या बिना भौतिक सत्यापन के ही रिपोर्ट शासन को भेज दी गई? क्या जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी? यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या जांच एमसीबी और कोरिया जिले के सभी प्रभावित क्षेत्रों तक विस्तारित की जाएगी?

घटती-घटना
चापा-खुरा टीकाकरण अभियान में बड़ा घोटाला?
रिकॉर्ड में 100% टीकाकरण,
गांवों में बिना टीके घूम रहे मवेशी!
चापा-खुरा टीकाकरण अभियान में करोड़ों का खेल?

'टीकाकरण में करोड़ों का खेल!'
खबर का बड़ा असर, शासन ने दिए जांच के आदेश
MCB और कोरिया जिले में FMD टीकाकरण अभियान की होगी
गांव-गांव जांच
गांववार भौतिक सत्यापन होगा
पशुपालकों से होगी पूछताछ
पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का होगा मिलान
फोटो और रिकॉर्ड की होगी जांच
टीकों की मात्रा और उपयोग का होगा सत्यापन
टीकाकरण दलों की कार्यप्रणाली की जांच
छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, रायपुर
जांच के आदेश
ORDER
कार्यालय
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग
जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)
FMD टीकाकरण अभियान में
अनियमितता की जांच करो
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
पशुपालक एकता संघर्ष समिति
क्या जांच को सीमित कर दबाया जा रहा मामला?

पशुपालकों में चिंता

ग्रामीण पशुपालकों का कहना है कि यदि वास्तव में टीकाकरण अभियान में अनियमितता हुई है तो इसका सीधा असर पशुधन पर पड़ सकता है, एफएमडी जैसी संक्रामक बीमारी समय पर टीकाकरण नहीं होने पर तेजी से फैल सकती है,जिससे किसानों और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, पशुपालकों ने मांग की है कि पूरे मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले में निष्पक्ष,पारदर्शी और व्यापक जांच कराई जाए,यदि रिकॉर्ड और वास्तविकता में अंतर मिलता है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

जांच से उठेगी परत या दब जाएगा मामला?

अब इस पूरे मामले पर पशुपालकों, ग्रामीणों और आम लोगों की नजर शासन द्वारा गठित जांच टीम पर टिकी हुई है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह जांच वास्तव में पूरे जिले में जाकर सच्चाई उजागर करेगी,या फिर इसे सीमित दायरे में समेटकर मामला खत्म करने का प्रयास होगा,यदि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होती है तो इससे न केवल एफएमडी टीकाकरण अभियान की वास्तविक स्थिति सामने आएगी,बल्कि भविष्य में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी,वहीं,यदि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई तो यह पूरे अभियान की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकती है।

सरगुजा के युवाओं के भविष्य पर 'कैंची'? लॉ की 240 सीटें आधी कर 120 करने पर सिंहदेव ने सरकार को घेरा

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र,कहा...गरीब और आदिवासी विद्यार्थियों का छिनेगा अवसर,निजी कॉलेजों की ओर होंगे मजबूर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के विधि (लॉ) संकाय में सीटों की संख्या 240 से घटाकर 120 किए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है और सीटों की संख्या पूर्ववत 240 करने की मांग की है। सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा है कि सरगुजा संभाग का यह सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक शासकीय महाविद्यालय है, जहां दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। ऐसे में लॉ की सीटें आधी कर देना क्षेत्र के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि पहले 240 सीटें होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को कम खर्च में कानून की पढ़ाई का अवसर मिलता था, लेकिन अब सीटें घटाकर 120 किए जाने से सैकड़ों विद्यार्थियों को मजबूरन महंगे निजी लॉ कॉलेजों का रुख करना पड़ेगा, जिसका खर्च अधिकांश परिवार वहन नहीं कर पाएंगे। सिंहदेव ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक विधि स्नातकों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकारी कॉलेज में सीटें कम करना क्षेत्रहित के विपरीत निर्णय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित कर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के विधि संकाय की सीटें पुनः 240 करने का निर्णय लिया जाए।

बढ़ेगा राजनीतिक दबाव

लॉ सीटों में कटौती का मुद्दा अब शिक्षा और क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़ा बड़ा विषय बनता दिखाई दे रहा है। यदि सरकार इस मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो आगामी दिनों में छात्र संगठनों और विपक्ष द्वारा इसे बड़ा जन आंदोलन बनाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अब भी फरार गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम घोषित

डीआईजी व एसएसपी ने जारी की उद्घोषणा,सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सरगुजा पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने आरोपी की गिरफ्तारी या उसकी गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए का इनाम देने की उद्घोषणा जारी की है। पुलिस के अनुसार,कोतवाली थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 504/2026 के तहत आरोपी तरुण जायसवाल, निवासी भफौली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि आरोपी ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद से फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और हरसंभव प्रयास किए गए,लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए के तहत इनाम घोषित किया गया है। उद्घोषणा के अनुसार, जो व्यक्ति आरोपी के संबंध में ऐसी जानकारी देगा जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके,या आरोपी को गिरफ्तार कराएगा अथवा स्वयं गिरफ्तार करेगा, उसे 5 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुरस्कार देने संबंधी अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक, सरगुजा का होगा।

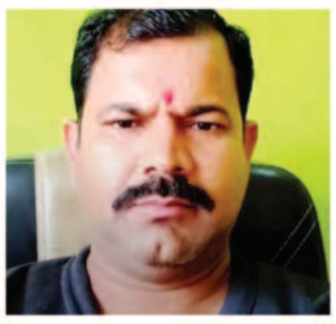

इन नंबरों पर दें सूचना : आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा 94791-93501,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 94791-93502,नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर 94791-93503 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 94791-93599 पर संपर्क किया जा सकता है।

खेतों में पहुंचे टी.एस. बाबा,किसानों से किया संवाद,फसलों की स्थिति का लिया जायजा

सरगुजा महाराज ने कहा...धरती से जुड़ाव ही सच्चे नेतृत्व की पहचान,किसान की समृद्धि से ही प्रदेश का विकास संभव

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं लोकप्रिय नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा ने अपने खेतों का भ्रमण कर किसानों से खेती-किसानी की स्थिति पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने फसलों की वर्तमान स्थिति, बारिश के प्रभाव,सिंचाई व्यवस्था तथा किसानों को आ रही समस्याओं की जानकारी ली और उनके अनुभव भी साझा किए। खेतों में किसानों के बीच सहज रूप से पहुंचे टी.एस. बाबा ने कहा कि धरती से जुड़ाव ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश भी समृद्ध होगा। किसानों की मेहनत और उनके योगदान का सम्मान करना समाज और शासन दोनों की जिम्मेदारी है। भ्रमण के दौरान किसानों ने खेती से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों और सुझावों से उन्हें अवगत कराया। टी.एस. बाबा ने किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं,बल्कि हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। खेतों में हुए इस आत्मीय संवाद को किसानों ने सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सीधे खेतों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति जानना किसानों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम है।

गुरु रविदास की जन्मस्थली से आई पावन मिट्टी व जल कलश का अंबिकापुर में भव्य स्वागत

पूजा-अर्चना के बाद निकाली गई कलश यात्रा,भाजपा पदाधिकारियों ने श्रद्धापूर्वक रायपुर के लिए किया रवाना

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर (वाराणसी) से लाई गई पावन मिट्टी एवं जल कलश का गुरुवार को अंबिकापुर में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की 12 सदस्यीय टोली डॉ. सनम जांगड़े एवं हरिनाथ खूँटे के नेतृत्व में इस पावन कलश को लेकर रायपुर जा रही है। अंबिकापुर पहुंचने पर भाजपा जिला सरगुजा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पूजा-अर्चना कर पावन मिट्टी एवं जल कलश का स्वागत किया। इसके बाद महाराणा प्रताप चौक से श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कलश यात्रा निकाली गई। धार्मिक वातावरण और जयघोष के बीच टोली को रायपुर के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पावन कलश यात्रा निकाली जा रही है। यह आयोजन समाज में सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर, महापौर मंजूषा भगत,जिला महामंत्री विनोद हर्ष, अरुणा सिंह, हरमिंदर सिंह टिन्नी, विकास पांडेय, वैभव सिंह देव, चंद्रिका यादव, राधा रवि, मनोज कंसारी, शुभांगी बिहाड़े, आर. डी. चौहान, प्रिया सिंह, राजेन्द्र जायसवाल, रविकांत उराँव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्रतापपुर और जरही में डेंगू-चिकनगुनिया रोकथाम के लिए चला लार्वा नियंत्रण अभियान,टेमीफॉस का किया गया छिड़काव

घर-घर सर्वे कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान,लोगों से सप्ताह में एक दिन 'ड्राई डे' मनाने की अपील

-संवाददाता-

प्रतापपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से विकासखंड प्रतापपुर के नगर पंचायत प्रतापपुर एवं जरही में व्यापक लार्वा स्रोत नियंत्रण एवं लार्वा रोधी टेमीफॉस छिड़काव अभियान चलाया गया। अभियान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर के निर्देशन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजित कुमार दीवान के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर सर्वे किया। इस दौरान कूलर, पुराने टायर, फ्रिज की ट्रे, फूलों के गमले, सीमेंट के टैंक, पानी की टंकियां, ड्रम, अनुपयोगी बर्तन तथा अन्य जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया। जहां भी मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावना मिली, वहां टेमीफॉस का छिड़काव कर लार्वा स्रोतों को नष्ट किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए सप्ताह में एक दिन 'ड्राई डे' मनाने, कूलर एवं पानी संग्रहित करने वाले सभी पात्रों को नियमित रूप से खाली कर साफ करने तथा घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी। अभियान की मॉनिटरिंग बीपीएम सतीश श्रीवास्तव,वीबीडीटीएस उत्तरा कुमार महिलांगे, आरएमए कमलेश सोनी, गंगा राम पैकरा, सेक्टर सुपरवाइजर नीलिमा अम्बस्ट तथा सीएचओ आकांक्षा टोप्पो ने की। अभियान में सेक्टर प्रतापपुर एवं सोनगरा के सभी आरएचओ (महिला एवं पुरुष), द्वितीय एएनएम तथा मितानिनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर और आसपास जलभराव न होने दें तथा सप्ताह में कम से कम एक बार कूलर,फ्रिज की ट्रे,गमले, पानी की टंकियों एवं अन्य जल संग्रहण वाले पात्रों को खाली कर साफ करें। विभाग का कहना है कि डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम में जनसहभागिता सबसे प्रभावी उपाय है।

विश्वसनीयता की एक पहचान
सरगुजा मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र
मत्स्य पालन कर लाएं कमाये मत्स्य किसान
छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त...
उपलब्ध मछली प्रजाति
हमारी विशेषताएं
संपर्क करें
के.आर. टेक्निकल कॉलेज के पीछे,
प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
संचालक: राजेन्द्र दुबे ✆ 98266-05333
Mob: 62660-97488 (रिंकू चौधरी) | 96690-58335 (निरंजन मंडल)
स्वच्छ बीज, अधिक उत्पादन - खुशहाल किसान, समृद्ध भारत
रूपचंदा
स्वच्छ बीज उन्नत भविष्य लाभदायक व्यवसाय
कतला
रेहू
मृगल
ग्रास
कार्प
सिल्वर कार्प
कामन कार्प
गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ बीज
वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन
उच्च जीवित दर
मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त
किसानों के लिए उत्तम मार्गदर्शन
उचित मूल्य पर उपलब्ध

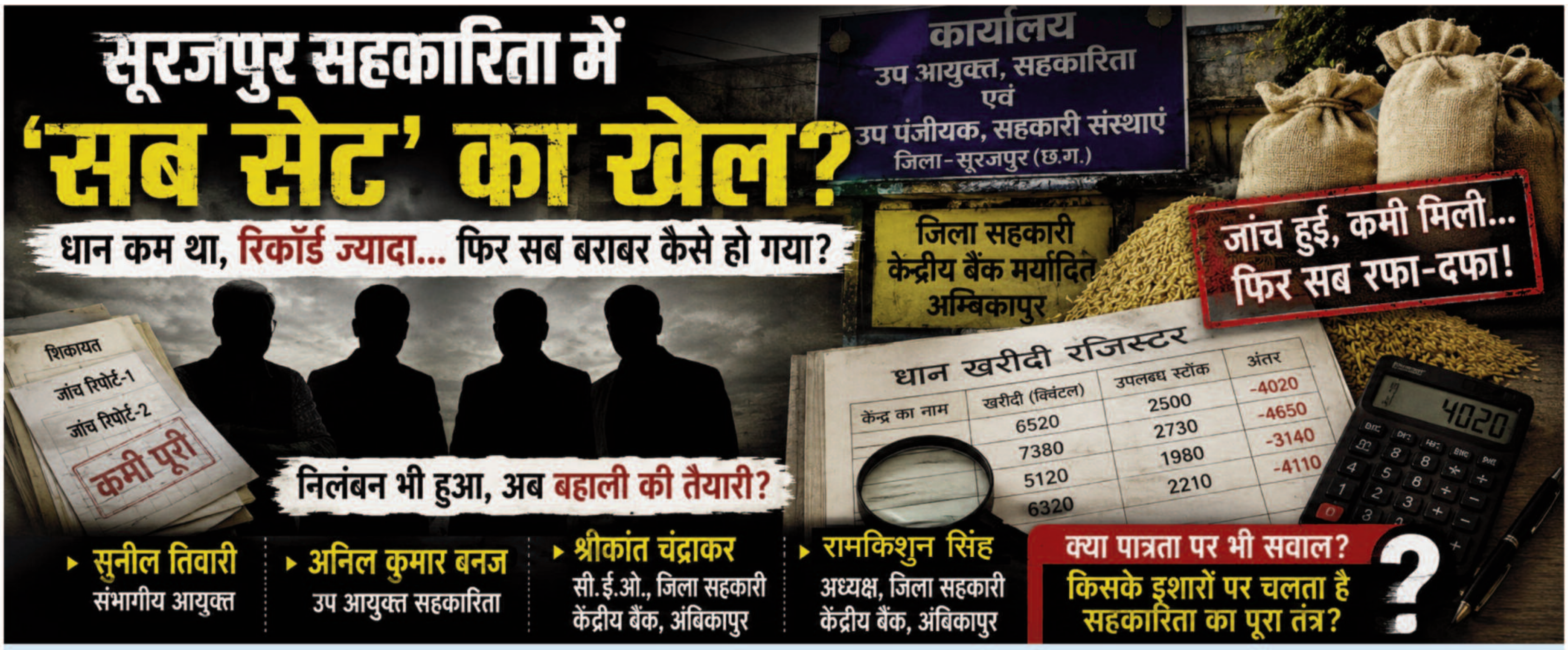

सूरजपुर सहकारिता विभाग में आपका स्वागत है...! जहां जांच भी होती है,कमी भी मिलती है,कमी भी मिट जाती है और फिर बहाली की तैयारी भी हो जाती है!

धान गायब हो तो चिंता मत करिए...जांच कीजिए,अगली जांच में धान भी मिल जाएगा...

- धान कम था, रिकॉर्ड ज्यादा...फिर सब बराबर कैसे हो गया?
- सहकारिता का 'चक्रीय खेल'! घोटाले की जांच,निलंबन और फिर बहाली की तैयारी
- क्या सूरजपुर का सहकारिता तंत्र कुछ 'चर्चित नामों' के इशारों पर चलता है?
- जांच हुई, सवाल उठे, कार्रवाई भी हुई...फिर वही चेहरे क्यों लौट रहे हैं?

ओंकार पांडेय

सूरजपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अगर सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर कोई प्रशिक्षण संस्थान खुल जाए तो उसका पहला पाठ शायद यही होगा की घबराइए मत, हर कमी की दूसरी जांच होती है,और यदि दूसरी जांच भी हो जाए,तो पहली जांच को भूल जाइए,आखिर व्यवस्था का अपना गणित है, जिले के सहकारी तंत्र में वर्षों से कुछ नाम चर्चा में रहते हैं,भैयाथान शाखा के अंतर्गत संचालित कुछ समितियां और धान खरीदी केंद्र हर खरीदी सीजन में किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं,किसान बदलते हैं, मौसम बदलता है,लेकिन चर्चा के पात्र कम ही बदलते हैं। बता दे की सूरजपुर जिले के सहकारिता क्षेत्र और धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है,विशेष रूप से भैयाथान शाखा के अंतर्गत आने वाली समितियों और शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं,चर्चा है कि जिले की कुछ सोसाइटियों पर कुछ रसूखदार नामों का एकछत्र वर्चस्व कायम है, जिनकी शह पर खुलेआम फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है।

घोटाले की 'मोडस ऑपरेंडी': कम धान, फर्जी स्टॉक और बेनामी संपति

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धान खरीदी सीजन के दौरान केंद्रों में कागजों पर तो भारी खरीदी दर्ज कर ली गई,लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान फड़ में धान का स्टॉक काफी कम पाया गया, घोटाले को छिपाने के लिए प्रभारियों और प्रबंधकों ने कथित तौर पर बिचौलियों के जरिए कम दरों पर धान खरीदकर फड़ में जमा कराया और शासन की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य की पूरी राशि डकार ली,चौंकाने वाला मामला: शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में तो कथित तौर पर वित्तीय गबन इस सीमा तक हुआ कि घोटाले के पैसे से विवादास्पद और बैंकों में बंधक जमीनों की खरीद-फरोख्त तक कर ली गई, इसके बावजूद,ठोस दंडात्मक कार्रवाई के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

2025-26 की धान खरीदी...जहां गणित भी शर्मिंदा हो जाए-कहा जाता है कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता,लेकिन 2025-26 की धान खरीदी ने शायद गणित को भी सोचने पर मजबूर कर दिया,चर्चाएं हुई कि कहीं रिकॉर्ड में धान ज्यादा था और गोदाम में कम। फिर जांच हुई,जांच में कमी मिली, इसके बाद फिर जांच हुई,और फिर वही कमी...पता नहीं कैसे... पूरी भी हो गई,यदि यह किसी जादूगर का शो होता तो दर्शक ताली बजाते। लेकिन यह सरकारी धान खरीदी थी,इसलिए जनता ने सवाल पूछे।

धान खुद चलकर आया या जवाब अभी बाकी है?-सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कमी मिली थी या नहीं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पहली जांच सही थी तो बाद में स्टॉक कैसे पूरा हो गया? क्या धान रातों-रात उग आया? क्या गोदामों में कोई चमत्कार हुआ? या फिर किसी ने कम दाम में धान खरीदकर सरकारी रिकॉर्ड से हिसाब बराबर कर दिया? इन सवालों के जवाब जनता आज भी तलाश रही है।

टीमें आईं...रिपोर्ट बनी...फिर सब सामान्य!-तहसीलदार आए, एसडीएम आए, खाद्य विभाग की टीम आई, सहकारिता विभाग की टीमें आईं और निरीक्षण हुआ,रिपोर्ट बनी और फिर धीरे-धीरे ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कुछ हुआ ही न हो,यदि पहली रिपोर्ट गलत थी तो उसे बनाने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, यदि पहली रिपोर्ट सही थी तो दूसरी रिपोर्ट के आधार क्या थे? यही वह प्रश्न हैं जिनका उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए।

जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति?

राजस्व,एसडीएम,तहसीलदार और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमों ने जब जांच शुरू की,तो शुरुआती चरण में भारी कमी और गड़बड़ी उजागर हुई,लेकिन आरोप है कि बाद में 'अदृश्य संरक्षण' के चलते कागजी कमी को पूरा दिखाकर पूरी जांच प्रक्रिया को ही रफा-दफा कर दिया गया,जिन समिति प्रबंधकों और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था,अब नए धान खरीदी सीजन के नजदीक आते ही उप आयुक्त सहकारिता एवं उप-निबंधक सहकारी संस्थाएं (जिला सूरजपुर) द्वारा उन्हें पुनः बहाल करने की अंदरूनी पटकथा तैयार कर ली गई है।

शीर्ष अधिकारियों की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल...

इस पूरे मामले में साधना,हदीस,सोहराब जैसे स्थानीय चर्चित चेहरों का नाम लगातार सामने आ रहा है,सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर खड़ा हो रहा है,जब शासन का पैसा बचाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का समय था,तब जिम्मेदार पदों पर बैठे आला अधिकारी मूकदर्शक बने रहे जिसमे संभागीय आयुक्त,सुनील तिवारी,उप आयुक्त सहकारिता, बैंक सीईओ (जिला सहकारी बैंक मर्यादित अंबिकापुर) श्रीकांत चंद्राकर, संभागीय अध्यक्ष (जिला सहकारी बैंक) रामकिशन सिंह शामिल है आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने घोटाले को उजागर करने के बजाय चुप्पी साधे रखी और निचले स्तर के षड्यंत्रकारियों को परोक्ष संरक्षण प्रदान किया।

सहकारिता विभाग में किसकी चलती है शतरंज की चाल? किसान आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है

धान खरीदी से बहाली तक...क्या हर फाइल का 'अंजाम' पहले से तय होता है?

क्या सूरजपुर की सहकारी समितियां कुछ लोगों की 'जागीर' बन गई हैं?

सहकारिता में 'ऑल इज़ वेल'? किसान पूछ रहा है—सच आखिर है क्या?

सूरजपुर सहकारिता में आखिर किसकी चलती है? धान खरीदी से लेकर बहाली तक 'चर्चित नामों' पर उठ रहे सवाल

निलंबन भी हुआ... अब बहाली भी होगी?

उस समय कुछ समिति प्रबंधकों और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई हुई,अब चर्चा यह है कि वही लोग फिर से आगामी धान खरीदी में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं,यदि ऐसा होता है तो जनता पूछ रही है क्या निलंबन केवल औपचारिकता था? यदि दोषी थे तो बहाली क्यों? यदि दोषी नहीं थे तो निलंबन क्यों?

शिवप्रसादनगर : जहां सवाल अभी खत्म नहीं हुए...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को लेकर भी वर्षो से चर्चाएं होती रही हैं,स्थानीय स्तर पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए, कुछ लोगों ने संपत्ति खरीद को लेकर भी प्रश्न उठाए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और किसी सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है,यदि शिकायतें निराधार थीं तो उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज क्यों नहीं किया गया? यदि शिकायतें गंभीर थीं तो उनकी जांच का परिणाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ?

नाम भी चर्चा में...लेकिन जवाब कौन देगा?

स्थानीय चर्चाओं में साधना,हदीस और सोहराब जैसे नाम बार-बार लिए जाते रहे हैं। इन नामों का उल्लेख विभिन्न शिकायतों और चर्चाओं में हुआ है,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित व्यक्तियों का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है।

बड़े अधिकारी क्या केवल दर्शक थे?

जब पूरा मामला चर्चा में था,तब प्रशासनिक जिम्मेदारी वाले पदों पर संभागीय आयुक्त सुनील तिवारी,प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता अनिल कुमार बनज,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशन सिंह कार्यरत थे,सवाल यह नहीं कि वे दोषी हैं,सवाल यह है कि जब शिकायतें थीं,जांच थी और कार्रवाई भी हुई,तब उनकी निगरानी में अंतिम परिणाम क्या निकला? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो जनता को पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाए।

बैंक अध्यक्ष की पात्रता पर भी चर्चा...

जनचर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशन सिंह की पात्रता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं,इन चर्चाओं पर किसी सक्षम प्राधिकारी का अंतिम सार्वजनिक निर्णय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पारदर्शिता के हित में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि शिकायतें हुई थीं तो उनका निस्तारण किस प्रकार किया गया।

और अब नई बाजी...

सोनपुर समिति में बोर्ड की शक्तियों में बदलाव के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई है,लोग कह रहे हैं–सहकारिता विभाग में फाइलें नहीं चलतीं, शतरंज की चालें चलती हैं,यह केवल जनचर्चा है,लेकिन यदि ऐसी धारणा बन रही है तो उसे दूर करना भी विभाग की जिम्मेदारी है।

अब जनता का सवाल...

- जांच हुई तो रिपोर्ट कहां है?
- कमी मिली थी तो दोषी कौन?
- दोषी नहीं थे तो कार्रवाई क्यों?
- कार्रवाई हुई थी तो बहाली किस आधार पर?
- और यदि सब कुछ ठीक था,तो हर साल वही केंद्र और वही नाम चर्चा में क्यों आते हैं?

दैनिक घटती-घटना की मांग...

इन सभी प्रश्नों का समाधान केवल एक स्वतंत्र,निष्पक्ष और दस्तावेज़ आधारित जांच से ही संभव है,यदि शिकायतें निराधार हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट मिले, यदि शिकायतों में तथ्य हैं,तो जिम्मेदारी केवल निचले स्तर तक सीमित न रहकर पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की भी जांच होनी चाहिए।

जनता और किसानों की मांग...

सूरजपुर के किसानों और स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जिन लोगों ने शासन के करोड़ों रुपये की हेराफेरी की,वे आज भी कार्रवाई से बेअसर हैं,क्षेत्र की जनता अब इस पूरे मामले की ईओडब्ल्यू या हाईकोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है,ताकि पर्दे के पीछे छिपे असली संरक्षकों के चेहरों से नकाब हट सके।

सूरजपुर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

निरीक्षक,उपनिरीक्षक,एएसआई,प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के तबादले,कई थानों को मिले नए प्रभारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है,जारी आदेश के तहत निरीक्षक,उपनिरीक्षक,सहायक उपनिरीक्षक(एएसआई),प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं,सभी स्थानांतरण अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावशील रहेंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कई थानों को नए थाना प्रभारी मिले हैं, वहीं पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न थाना,चौकी और शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इन निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी-जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक अलरिक लकड़ा को थाना प्रभारी सूरजपुर, फर्डीनंद कुजूर को थाना प्रभारी अजाक तथा रूपेश कुंतल एक्का को थाना प्रभारी विश्रामपुर पदस्थ किया गया है।

उपनिरीक्षकों को भी मिली नई पदस्थापना-उपनिरीक्षक स्तर पर भी महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है,प्रदीप सिदार को थाना प्रभारी प्रेमनगर,अमित गुप्ता को थाना प्रभारी जयनगर,मनोज कुमार सिंह को चौकी प्रभारी खड़गवां,सरफराज अहमद को थाना प्रभारी झिलमिली तथा विराट विशी को थाना प्रभारी रामानुजनगर बनाया गया है,इसके अलावा मनोज सिंह को विश्रामपुर,संजय यादव को कुदरगढ़ चौकी, आलोक सोनी को झिलमिली,कृष्ण कुमार सिंह को रामानुजनगर,मनोज पोर्ते को सूरजपुर,माधव सिंह को प्रतापपुर तथा जगनारायण साहू को विश्रामपुर पदस्थ किया गया है।

सूरजपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल
निरीक्षक से लेकर आरक्षकों तक के तबादले
एसपी ने जारी किए आदेश, तत्काल कार्यमुक्त कर नई जगह ज्वाइन करने के निर्देश
कार्यालय
पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
(छत्तीसगढ़)
कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम

प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों का भी बड़े पैमाने पर तबादला-दूसरे आदेश में पुलिस लाइन सूरजपुर सहित विभिन्न इकाइयों में पदस्थ प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के भी व्यापक स्थानांतरण किए गए हैं,कई कर्मचारियों को यातायात शाखा, प्रतापपुर, खड़गवां,ओड़गी,चांदनी,रामानुजनगर,बसदेई, झिलमिली एवं सूरजपुर सहित विभिन्न थानों एवं चौकियों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है,जारी सूची में कुल 18 प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक शामिल हैं।

संत गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष पर भाजपा का देशव्यापी 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू

29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक सामाजिक समरसता,संत संपर्क,दीप महोत्सव और समरसता यात्रा सहित होंगे विविध कार्यक्रम

-संवाददाता-

सूरजपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) से 20 फरवरी 2027 (माघ पूर्णिमा) तक देशभर में'समरसता संकल्प अभियान' चलाने की घोषणा की है,अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय,प्रदेश, जिला, मंडल और ग्राम स्तर तक सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और जनजागरण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में एमसीबी जिले के भाजपा जिला प्रभारी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने अभियान की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन सामाजिक समानता,मानवता, सेवा और समरसता का अनुपम उदाहरण है,उन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज द्वारा प्रतिपादित 'बेगमपुरा' का दर्शन ऐसे समाज की कल्पना करता है,जहां किसी प्रकार का भेदभाव,अन्याय या शोषण न हो, उनके विचार आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

गुरु पूर्णिमा पर होगा 'समरसता दीप महोत्सव'-अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 'समरसता दीप महोत्सव' से हुई,इस दिन देशभर के 51 हजार से अधिक मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए गए, वहीं,वाराणसी स्थित संत रविदास घाट पर 11 हजार दीपों के साथ विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया गया।

देशभर में पहुंचेगी जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी-29 जुलाई से 10 सितंबर तक 'कलश वंदन अभियान' चलाया जाएगा, इसके तहत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलश विभिन्न राज्यों के लिए रवाना किए जाएंगे, इन कलशों के माध्यम से देशभर में लगभग 21 हजार स्थानों पर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संतों का होगा सम्मान,समाज को दिया जाएगा समरसता का संदेश-29 जुलाई से 31 अगस्त तक 'संत संपर्क अभियान' के अंतर्गत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गुरु रविदास परंपरा से जुड़े संत-महात्माओं का सम्मान करेंगे तथा समाज के बीच समरसता और सामाजिक सद्भाव का संदेश पहुंचाएंगे।

पंजाब से वाराणसी तक निकलेगी समरसता यात्रा-5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा' निकाली जाएगी,यह यात्रा पंजाब के डेरा सचखंड बल्लां (जालंधर) से प्रारंभ होकर गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) पहुंचेगी,यात्रा पंजाब,जम्मू-कश्मीर,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,हरियाणा,चंडीगढ़ और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी।

छात्रावासों में होगा 'समरसता संवाद'-26 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक 'छात्रावास संपर्क अभियान' के अंतर्गत देशभर के छात्रावासों में विद्यार्थियों और युवाओं के साथ'समरसता संवाद' कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को संत गुरु रविदास महाराज के जीवन,विचारों और सामाजिक संदेश से परिचित कराया जाएगा।

'सबका साथ,सबका विकास' के संकल्प से जोड़ा अभियान-बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा 'सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र संत गुरु रविदास महाराज की समरसता और सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रेरित है,उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान समाज में समानता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत करेगा।

कार्यालय
वन परिक्षेत्राधिकारी सोनहत
(सामान्य)
कोरिया वन मण्डल- बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं
कोरिया वन मण्डल बैकुण्ठपुर

सोनहत वन परिक्षेत्र के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं पर

बड़ा जनाक्रोश, चारों ओर आरोपों से घिरा वन विभाग

25 अगस्त को वन विभाग कार्यालय घेराव की चेतावनी

- नागरिक एकता मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
- गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उठाए सवाल, आंदोलन की दी चेतावनी
- पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीसीसीएफ से की चर्चा, उठाए कई प्रश्न
- कोरिया जन सहयोग समिति ने भी की निष्पक्ष जांच की मांग

सोनहत वन विभाग के निर्माण कार्यों पर घमासान,जांच की मांग को लेकर एकजुट हुए संगठन और जनप्रतिनिधि

ग्रामीणों से लेकर सामाजिक संगठन,राजनीतिक दल और पूर्व विधायक तक एक सुर में उठा रहे निष्पक्ष जांच की मांग...

तालाब से फेंसिंग तक विवाद ही विवाद, सोनहत वन परिक्षेत्र में बढ़ा विरोध,25 अगस्त को घेराव की चेतावनी...

वन विभाग पर बढ़ा चौतरफा दबाव, जांच की मांग को लेकर सड़क से प्रशासन तक गूंजे सवाल...

तालाब निर्माण विवाद ने पकड़ा तूल, अब सामाजिक संगठन,राजनीतिक दल और पूर्व विधायक आमने-सामने...

सोनहत वन परिक्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर बवाल,वन विभाग के खिलाफ खुला मोर्चा...

एक के बाद एक संगठन मैदान में, सोनहत वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल...

निर्माण कार्यों पर बढ़ते आरोपों से घिरा वन विभाग,25 अगस्त को कार्यालय घेराव की चेतावनी...

जनता,संगठन और जनप्रतिनिधि एक सुर में– 'निर्माण कार्यों की हो निष्पक्ष जांच, दोषियों पर हो कार्रवाई'

-राजन पाण्डेय-

बैकुंठपुर/सोनहत,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
कोरिया वन मंडल के सोनहत वन परिक्षेत्र में तालाब,फेंसिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों को लेकर उठे कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप अब लगातार व्यापक होते जा रहे हैं,शुरुआत ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने से हुई थी,लेकिन अब यह मामला सामाजिक संगठनों,राजनीतिक दलों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और नागरिक मंचों तक पहुंच चुका है,एक के बाद एक संगठन सामने आकर निष्पक्ष जांच,दोषियों पर कार्रवाई और सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शी समीक्षा की मांग कर रहे हैं,लगातार बढ़ते विरोध और शिकायतों के बीच वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं और विभाग पर जवाबदेही तय करने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है,दैनिक घटती-घटना द्वारा प्रकाशित खोजी समाचारों के बाद मामले ने जिस गति से तूल पकड़ा है, वह अब केवल विभागीय शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है,अब यह मुद्दा जनहित,सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी बड़ी बहस का विषय बन चुका है।

25 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो होगा वन विभाग कार्यालय का घेराव–ज्ञापन के माध्यम से नागरिक एकता मंच ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 25 अगस्त तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई,तो क्षेत्र के ग्रामीणों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के साथ वन विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा,यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह विवाद बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उठाई जांच की मांग–इस पूरे मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) भी सक्रिय हो गई है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी श्याम सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया गया,जबकि इन योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है, उन्होंने कहा कि यदि मशीनों के उपयोग,मस्टर रोल,भुगतान प्रक्रिया और निर्माण गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच नहीं हुई,तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीसीसीएफ से की चर्चा–भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी मामले को गंभीर बताते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ),रायपुर से दूरभाष पर चर्चा की, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि यदि वर्षाकाल में मिट्टी संबंधी कार्यों पर तकनीकी प्रतिबंध रहता है,तो जुलाई माह में भारी बारिश के दौरान तालाब निर्माण किस नियम और किस तकनीकी अनुमति के आधार पर कराया गया? उन्होंने यह भी पूछा कि यदि पहली ही बारिश में निर्माण क्षतिग्रस्त हो गया,तो गुणवत्ता परीक्षण किस स्तर पर हुआ और उसकी जिम्मेदारी किसकी है,पूर्व विधायक ने निर्माण स्थलों पर सूचना पटल नहीं लगाए जाने तथा मशीनों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच नहीं होने की स्थिति में व्यापक जनआंदोलन की चेतावनी दी।

कोरिया जन सहयोग समिति पहले ही कर चुकी है शिकायत–इस पूरे घटनाक्रम में कोरिया जन सहयोग समिति की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, समिति ने पहले ही वनमंडलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर तथा मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच की मांग की है, समिति ने अपने ज्ञापन में निर्माण गुणवत्ता, जेसीबी के उपयोग,कथित फर्जी मस्टर रोल, तकनीकी लापरवाही और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की जांच कर दोषियों पर विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग उठाई है।

लगातार बढ़ता गया विरोध,अब कई स्तरों पर दबाव–यदि पूरे घटनाक्रम पर क्रमवार नजर डालें तो विरोध लगातार व्यापक होता गया है ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, दैनिक घटती-घटना ने क्रमवार खोजी समाचार प्रकाशित किए,तालाबों के पहली बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद शिकायतों का दौर शुरू हुआ,कोरिया जन सहयोग समिति ने डीएफओ और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीसीसीएफ से चर्चा कर मामले को सार्वजनिक रूप से उठाया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जांच और आंदोलन की चेतावनी दी,नागरिक एकता मंच ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 25 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर वन विभाग कार्यालय घेरने की घोषणा कर दी,इन घटनाओं से स्पष्ट है कि मामला अब केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहा,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही,सरकारी धन के उपयोग और योजनाओं की गुणवत्ता से जुड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया है।

वन विभाग पर बढ़ता जवाबदेही का दबाव...

वन विभाग के समक्ष अब सबसे बड़ी चुनौती केवल आरोपों का जवाब देना नहीं,बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखना भी है,लगातार बढ़ रही शिकायतों,जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप और सामाजिक संगठनों की सक्रियता के बीच अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विभाग पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा,या फिर यह मामला भी केवल शिकायतों और आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा,यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई की संभावना बन सकती है,वहीं यदि आरोप असत्य सिद्ध होते हैं, तो निष्पक्ष जांच से विभाग को भी अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।

अब सबसे बड़ा सवाल....

सोनहत वन परिक्षेत्र के निर्माण कार्यों को लेकर अब सवाल केवल तालाबों तक सीमित नहीं हैं, चर्चा फेंसिंग,मशीनों के उपयोग,स्थानीय मजदूरों के रोजगार,मस्टर रोल,तकनीकी गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग तक पहुंच चुकी है, ऐसे में 25 अगस्त से पहले प्रशासन क्या कदम उठाता है, यही आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।

तालाब तो बह गया... चंदन पेड़ कट गया... पर जवाबदेही और कार्यवाई कहां?

कोरिया वन मंडल में संरक्षण नहीं, अनियमितता का संरक्षण!

जंगल असुरक्षित, निर्माण विवादित...कोरिया वन मंडल में आखिर जवाबदेही किसकी?

चंदन गया, तालाब बहा... अब जवाबदेही भी जंगल में खो गई क्या?

तालाब पहली बारिश में बह गए, अब मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत

गुणवत्ताहीन निर्माण,जेसीबी के उपयोग,फर्जी मस्टर रोल और सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जांच की मांग

घटती-घटना
सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार
अम्बिकापुर गुरुवार 30 जुलाई 2026
4

तालाब निर्माण विवाद पर सियासत तेज,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने खोला मोर्चा

तालाब निर्माण में कथित अनियमितताओं पर फूटा जनाक्रोश: पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वन विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा

जनआंदोलन

शिकायतों की श्रृंखला ने बढ़ाया दबाव

अब निगाहें वन विभाग और शासन पर...

नागरिक एकता मंच ने खोला मोर्चा,एसडीएम को सौंपा विस्तृत ज्ञापन

मामले में नया मोड़ तब आया जब नागरिक एकता मंच,सोनहत के संयोजक मनोज साहू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनहत को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की,ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि लाखों-करोड़ों रुपये की लागत से कराए गए तालाब, फेंसिंग एवं अन्य निर्माण कार्य पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने लगे,जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं,मंच का कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप किए गए होते तो पहली ही बारिश में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती,मंच ने यह भी आरोप लगाया कि 15 जून के बाद सामान्यत: मिट्टी संबंधी कार्यों पर रोक रहने के बावजूद जून और जुलाई में जेसीबी,ट्रैक्टर एवं अन्य भारी मशीनों से कार्य कराया गया,उनका कहना है कि इससे न केवल शासन के दिशा-निर्देशों की अनदेखी होने की आशंका है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों एवं आदिवासी मजदूरों का रोजगार भी प्रभावित हुआ।

तन्जरा बीट के फेंसिंग कार्यों को लेकर भी उठे सवाल...

नागरिक एकता मंच ने केवल तालाब निर्माण तक अपनी शिकायत सीमित नहीं रखी,मंच ने तन्जरा बीट में कराए गए फेंसिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों की भी जांच की मांग की है,मंच का आरोप है कि इन कार्यों में भी पारदर्शिता का अभाव रहा और संबंधित बीट गार्ड द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं,मंच ने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

मनोज साहू संयोजक
नागरिक एकता मंच सोनहत

गुलाब कमरो पूर्व विधायक

श्याम सिंह राष्ट्रीय महासचिव
एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी

भाजपा नेता और निलंबित प्रबंधक पर एनआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस आक्रामक

जयनगर सहकारी समिति में खाद की कथित कालाबाजारी का मामला,जिला कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जिलाध्यक्ष शशि सिंह का आरोप...विभागीय जांच में अनियमितता की पुष्टि के बावजूद नहीं हुई आपराधिक कार्रवाई,एनआईआर नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी...

-संवाददाता-

सूरजपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जयनगर स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में कथित उर्वरक (खाद) कालाबाजारी के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में बुधवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष देवधन राम बिंझिया एवं निलंबित प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की बड़े पैमाने पर कथित कालाबाजारी हुई, जिससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल सकी और उन्हें खुले बाजार से अधिक कीमत पर उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

विभागीय जांच का हवाला देकर उठाए सवाल–जिला कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि समाचार माध्यमों में मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें लाखों रुपये मूल्य के उर्वरक की कथित अनियमितताओं की पुष्टि हुई, इसके बाद प्रशासन ने समिति के तत्कालीन प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति को निलंबित कर दिया तथा तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्राधिकृत अधिकारी देवधन राम बिंझिया को पद से हटा दिया, कांग्रेस का कहना है कि जब विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है, तब आपराधिक प्रकरण दर्ज करने में देरी समझ से परे है।

किसानों को भुगतना पड़ा नुकसान–जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने आरोप लगाया कि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंधक की कथित मिलीभगत के कारण किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध नहीं हो सकी, उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर खेती पर पड़ा और किसानों को निजी बाजार से अधिक कीमत देकर उर्वरक खरीदना पड़ा, उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े इस मामले में केवल विभागीय कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि किसी प्रकार का अपराध हुआ है तो उसकी निष्पक्ष आपराधिक जांच भी होनी चाहिए।

भाजपा नेता होने के कारण संरक्षण का आरोप–शशि सिंह ने आरोप लगाया कि समिति के पूर्व अध्यक्ष देवधन राम बिंझिया, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ केवल पद से हटाने की कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अब तक उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

पूर्व रिकॉर्ड पर भी उठाए सवाल–कांग्रेस ने निलंबित प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति के संबंध में भी आरोप लगाया कि उन पर पूर्व में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, पार्टी का कहना है कि ऐसे मामलों को देखते हुए इस प्रकरण में विस्तृत जांच और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

एफआईआर नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी–जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि कथित खाद कालाबाजारी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष देवधन राम बिंझिया और निलंबित प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति के विरुद्ध विधिसम्मत प्रकरण दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि यदि शीघ्र एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो कांग्रेस किसानों के हित में आंदोलन करेगी।

60 करोड़ का घर,100 करोड़ का फार्म हाउस...

अपार संपत्ति के मालिक हैं सनी देओल

रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका निभाने वाले सनी देओल की संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे...

चार दशक का करियर और दर्जनों सुपरहिट फिल्में... सनी देओल आज सिनेमा के सबसे अमीर सितारों में शुमार हैं। करोड़ों फीस वसूलने वाले सनी पाजी के पास करोड़ों के घर और फार्महाउस हैं। उनकी प्रॉपर्टी विदेशों में भी फैली है।

68 साल की उम्र में भी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले सनी देओल आज कितनी संपत्ति के मालिक हैं, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

सनी देओल अपने अभिनय से पैसा कमाना ही नहीं जानते हैं, बल्कि उसे इन्वेस्ट भी करना जानते हैं। उन्होंने फिल्मों से खूब पैसा कमाया और प्रॉपर्टीज की झड़ी लगाई। उनके पास मुंबई से लेकर मनाली तक घर हैं और लंदन में भी प्रॉपर्टी है।

मुंबई में सनी देओल के करोड़ों के घर

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सनी देओल का मुंबई के मालाबार हिल एरिया में एक लैविश मेंशन है जहां एक प्राइवेट मूवी थिएटर, जिम, हेलीपैड और बड़ा सा स्विमिंग पूल है। इसके अलावा सनी देओल का मुंबई के जुहू में भी एक घर है, जो वास्तव में धर्मेंद्र का होम कहा जाता है। इसी घर में देओल परिवार रहता है। इस घर की कीमत करीब 50 से 60 करोड़ रुपये बताई जाती है। सनी देओल के पास मुंबई के ओशिवारा, मनाली में भी घर है।

100 करोड़ का फार्महाउस

मुंबई और मनाली में कई घर होने के साथ-साथ सनी देओल का एक लग्जरी फार्महाउस भी है। यह मुंबई के करीब लोनावला में स्थित है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये बताई जाती है। सनी देओल के पास विदेश में भी संपत्ति है। उनकी यूके में एक प्रॉपर्टी है।

कितनी है सनी देओल की संपत्ति?

बात करें नेट वर्थ की तो 2025 तक सनी देओल की कुल संपत्ति 130 से 180 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता की कमाई का सबसे बड़ा जरिया फिल्में, ऐड्स और रियल इस्टेट है।

सनी देओल की आगामी फिल्में

सनी देओल इस वक्त अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्मों के लिए काफी चर्चा में हैं। वह 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म बंटवारा 1947 में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वह रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका निभाएंगे। फिलहाल,अभी तक उनका लुक रिवील नहीं हुआ है।

अली गोनी ने जैस्मीन भसीन संग लव स्टोरी पर खोले राज

टेलीविजन अभिनेता अली गोनी ने अपनी निजी जिंदगी और जैस्मीन भसीन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। हाल ही में 'अलायंस' के एक एपिसोड में अली ने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे जैस्मीन भसीन के प्रपोजल को उन्होंने शुरुआत में ठुकरा दिया था। रैपर बाली और रूही दोसानी के साथ बातचीत के दौरान अली ने अपनी और जैस्मीन की प्रेम कहानी के शुरुआती दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि जैस्मीन ने उन्हें 31 दिसंबर 2018 को प्रपोज किया था, लेकिन उस समय उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

जैस्मीन के प्रपोजल को कर दिया था मना

अली गोनी ने बातचीत के दौरान बताया कि जैस्मीन ने जब उन्हें अपने दिल की बात बताई तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया था। अली की इस बात को सुनकर रूही दोसानी हैरान रह गईं। रूही ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह सुनने में बिल्कुल भी प्यारी बात नहीं लगती। इस पर अली हंस पड़े और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए माफ किया जाए। इसके बाद अली ने बताया कि उस समय उनके मन में कुछ अलग विचार थे, जिसकी वजह से उन्होंने जैस्मीन के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार नहीं किया।

दो साल बाद बदला फैसला

अली ने बताया कि जैस्मीन को उनसे 'हां' कहलवाने में करीब दो साल लग गए। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती और समझ बढ़ी और फिर उनका रिश्ता मजबूत होता गया। अली के अनुसार, समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जैस्मीन उनके लिए कितनी खास हैं। इसके बाद उन्होंने अपने फैसले को बदला और दोनों के बीच प्यार का रिश्ता शुरू हुआ। लव स्टोरी की शुरुआत पर की बात जब रूही दोसानी ने अली से पूछा कि उनकी लव स्टोरी कहां से शुरू हुई, तो अली ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि जैस्मीन ने साल 2018 के आखिरी दिन उन्हें प्रपोज किया था।

अली की यह बात सुनकर रूही ने इसे बेहद खास पल बताया, लेकिन जब अली ने बताया कि उन्होंने उस समय जैस्मीन को मना कर दिया था तो बातचीत का माहौल मजेदार हो गया।

दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं फैंस

अली गोनी और जैस्मीन भसीन की जोड़ी टेलीविजन इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में शामिल है। दोनों की मुलाकात एक रियलिटी शो के दौरान हुई थी और इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई। सोशल मीडिया पर भी दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं। फैंस उनकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को काफी पसंद करते हैं।

रिश्ते में दोस्ती की अहम भूमिका

अली ने अपनी बातचीत में यह भी संकेत दिया कि उनके रिश्ते की नींव दोस्ती पर आधारित रही। उन्होंने बताया कि एक-दूसरे को समझने और समय देने के बाद ही उनका रिश्ता आगे बढ़ा। उनके मुताबिक, किसी भी रिश्ते में भरोसा और आपसी समझ बहुत जरूरी होती है। यही वजह रही कि समय के साथ उनके और जैस्मीन के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ।

निजी जिंदगी को लेकर कम बोलते हैं

अली अली गोनी आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा खुलकर बात नहीं करते,लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने अपने रिश्ते से जुड़े कई पहलुओं को साझा किया। उनके इस खुलासे के बाद प्रशंसकों में भी उत्सुकता बढ़ गई है। फैंस ने सोशल मीडिया पर अली और जैस्मीन की लव स्टोरी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

जैस्मीन-अली की कहानी बनी चर्चा का विषय

अली गोनी का यह खुलासा कि उन्होंने शुरुआत में जैस्मीन के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, अब चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, दोनों के रिश्ते में बाद में प्यार और विश्वास बढ़ा और आज दोनों एक-दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता साझा करते हैं। अली की इस बातचीत से यह भी पता चलता है कि कई बार रिश्तों में सही समय और परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी और जैस्मीन की कहानी अब उनके प्रशंसकों के लिए एक खास प्रेम कहानी बन चुकी है।

सावन पूजा पर भूमि पेडनेकर की पोस्ट वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर गुरुवार (30 जुलाई) को सावन पूजा की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद चर्चा में आ गईं। अभिनेत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए, जिनके बाद उनके पहनावे और एक्सेसरीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। भूमि ने अपनी पोस्ट में सावन के पवित्र महीने के दौरान की गई पूजा की झलक दिखाई। तस्वीरों और वीडियो में वह भगवान शिव की आराधना करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई नजर आईं। हालांकि, पूजा के दौरान उनके पहनावे और काले चश्मे को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए, जिसके बाद यह पोस्ट चर्चा का विषय बन गई।

मंदिर में पूजा करती दिखीं भूमि

भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में मंदिर परिसर की झलक दिखाई। उन्होंने पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। देशभर में श्रद्धालु इस दौरान शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक और विशेष पूजा करते हैं। भूमि ने भी इसी धार्मिक अवसर पर मंदिर जाकर पूजा की।

पहनावे को लेकर शुरू हुई बहस

भूमि की तस्वीरों में वह नीली डेनिम जींस और काले रंग के टॉप में नजर आईं। उन्होंने अपने लुक को काले चश्मे के साथ पूरा किया था। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके इस पहनावे पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने सवाल किया कि धार्मिक स्थल पर पूजा करते समय काला चश्मा पहनने की क्या जरूरत थी। वहीं, कई अन्य यूजर्स ने अभिनेत्री का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा करना व्यक्तिगत आस्था का विषय है और किसी के पहनावे के आधार पर इसे नहीं आंका जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

भूमि की पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं। जहां कुछ यूजर्स ने उनके मंदिर जाने और पूजा करने की सराहना की, वहीं कुछ ने उनके लुक को लेकर अपनी राय व्यक्त की।

खेल समाचार

हर मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरूंगी

मुंबई,30 जुलाई 2026। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में भारत की प्रमुख जूडोका के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। स्नढ्ढस् वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडोका, 28 वर्षीय यामिनी ने इसके बाद एशियन ओपन 2025 और अफ्रीकन ओपन 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी उपलब्धियों की लिस्ट को और बढ़ाया है। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहीं यामिनी एक और बड़ी इंटरनेशनल चुनौती का सामना करते हुए अपनी लय को बनाए रखने की कोशिश करेंगी। कई खेलों के उलट, जूडो में अगले मुकाबले से आगे सोचने की गुंजाइश कम होती है, और यामिनी हर टूर्नामेंट में इसी तरह आगे बढ़ती हैं। उन्होंने कहा, जूडो में आप बहुत आगे की नहीं सोच सकते क्योंकि हर मुकाबला अलग होता है। मेरा ध्यान हमेशा सामने वाले मैच पर और ट्रेनिंग के दौरान हमने जो सीखा है, उसे लागू करने पर होता है। तैयारी अच्छी रही है और मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूं। अब शांत रहने, मैट पर सही फैसले लेने और हर मुकाबले में अपना बेस्ट देने की बात है।

विश्व कप में केसरिया जर्सी पहनेंगी भारतीय हॉकी टीमें

एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला टीम पारंपरिक नीली की जगह केसरिया जर्सी पहनेंगी...जर्सी के रंग बदलने पर विवाद के बीच हॉकी इंडिया ने स्पष्ट किया कि...यह फैसला खिलाड़ियों और कोचों की तकनीकी सलाह पर लिया गया है...जबकि पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने इसे टीम की विरासत और पहचान के खिलाफ बताया...

नई दिल्ली,30 जुलाई 2026। भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप में पारंपरिक नीली जर्सी नहीं बल्कि केसरिया रंग की जर्सी पहनेगी । जर्सी का रंग बदलने के इस फैसले पर विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने कहा है कि कोचों और खिलाड़ियों के अनुरोध पर तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया गया है ।

पूर्व कप्तान ने उठाया सवाल

इस फैसले पर हालांकि पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हॉकी टीम बरसों से नीली जर्सी में खेलती आई है और प्रशंसक भी उसे इसी रंग में देखना चाहते हैं ।

हॉकी इंडिया का बयान

विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने एक बयान में कहा, यह देखा गया कि नीली जर्सी नीले रंग की एस्ट्रो टर्फ (मैदान की सतह) के साथ घुल-मिल जाती थी जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी पिचों के लिए नीला रंग ही अब मानक है। इस एक जैसे रंग की वजह से खिलाड़ियों को मैदान पर साफ देखने में दिक्कत होती थी।

सोच विचार के बाद चुना केसरिया रंग

इसमें कहा गया कोचों और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे दूसरे रंगों का सुझाव दिया। अच्छी तरह सोच विचार के बाद केसरिया रंग को चुना गया। तकनीकी जरूरत को पूरा करने के अलावा केसरिया रंग का गहरा महत्व भी है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है और साहस,त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।''

कोचों और खिलाड़ियों के फीडबैक से लिया फैसला

इसमें कहा गया ,''कोचों और खिलाड़ियों से तकनीकी फीडबैक मिलने और हमारे राष्ट्रध्वज का रंग होने से इस रंग के सांकेतिक महत्व को देखते हुए यह फैसला किया गया ।''

रंग बदलने का कारण सिर्फ तकनीकी

जर्सी विवाद के राजनीतिक रंग लेने के बीच हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी के कहने पर नहीं बल्कि सिर्फ तकनीकी कारणों से लिया गया।

रंग बदलने के लिए कोई दबाव नहीं

टिर्की ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जर्सी का रंग बदलने के लिए किसी का दबाव नहीं था । यह सिर्फ खिलाड़ियों,कोचों और सहयोगी स्टाफ के अनुरोध पर किया जा रहा है । इसका कारण पूरी तरह से तकनीकी है । मैं अनुरोध करता हूं कि टूर्नामेंट से पहले ऐसा कोई अनावश्यक विवाद नहीं हो जिससे टीम और खिलाड़ियों पर असर हो ।

जर्सी का डिजाइन और रंग भारत के गौरव का प्रतीक

इससे पहले हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिये है ।

केसरिया रंग नई शुरूआत की प्रतीक

हॉकी इंडिया ने कहा कि केसरिया रंग साहस, बलिदान और जीत का प्रतीक है । इसने कहा ,''भारत के राष्ट्रध्वज और उगते हुए सूरज से प्रेरित यह जर्सी नई शुरूआत की प्रतीक है ।'

नेवी ब्लू रंग अशोक चक्र से प्रेरित

विश्व कप 15 से 30 अगस्त के बीच खेला जायेगा । जर्सी पर 'मंडाला' कला से प्रेरित पैटर्न हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत दर्शाते हैं । हॉकी इंडिया ने कहा कि इस पर गहरा नेवी ब्लू रंग अशोक चक्र से प्रेरित है जो प्रगति, शांति और फोकस का प्रतीक है ।

ग्राफिक सुदर्शन चक्र ताकत,एकता और गति का प्रतीक

हॉकी इंडिया ने कहा कि छाती पर बना ग्राफिक सुदर्शन चक्र का एक आधुनिक रूप है,जो ताकत,एकता और गति का प्रतीक है।

कंधों और बाजुओं पर पाइपिंग

कंधों और बाजुओं पर तिरंगे की पाइपिंग है जो राष्ट्रीय गौरव की द्योतक है ।

देवनागरी लिपि में लिखा है 'इंडिया'

जर्सी के आगे के हिस्से पर देवनागरी लिपि में 'इंडिया' लिखा है जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है ।

'एक भारत,श्रेष्ठ भारत'

हॉकी इंडिया ने कहा,''नई जर्सी 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' की भावना की परिचायक है ।''

केसरिया के साथ होगी सफेद जर्सी

भारतीय टीम के पास केसरिया के साथ इसी तरह की सफेद जर्सी भी होगी ।

रंग बदलने के फैसले पर सवाल

पूर्व कप्तान रासकिन्हा ने हालांकि जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल किया है ।

भारतीय टीम की विरासत और पहचान नीला रंग

उन्होंने एक्स पर लिखा,''हॉकी इंडिया ने खेल के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन यह निराशाजनक है । भारतीय टीम की विरासत और पहचान नीला रंग रही है । मैने कई साल तक गर्व से नीली जर्सी पहनी है । प्रशंसक हमारी टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं । यह केसरिया रंग का क्या तुक है ।''

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र.1,अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना
eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांक - 04/वं.ले.लि./2026-27 दिनांक 23.07.2026 निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 13.08.2026 (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
	195992	सरईकेरचा व्यपवर्तन योजना के नहर का जीणोद्वार एव रिमाडलिंग कार्य।	रू0 216.93 लाख । (जी.एस.टी. छोडकर)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 30.07.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोटः- निविदा मे भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है ।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1, अम्बिकापुर
(छ.ग.) कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी0नं0 -262702415/4

नीरज चोपड़ा,रोहित यादव और यश वीर सिंह फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई

ग्लासगो,30 जुलाई 2026। गुरुवार को ग्लासगो में तेज़ हवाओं के कारण मुश्किल हुए क्वालिफिकेशन राउंड के बाद, भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा,रोहित यादव और यश वीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों के जैवलिन फ़ाइनल में जगह बना ली। नीरज, जिन्होंने अक्सर बड़े इवेंट्स में सिर्फ़ एक बड़े थ्रो से क्वालिफिकेशन पक्का किया है, उन्हें फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपने दूसरे प्रयास तक इंतज़ार करना पड़ा। ओलंपिक चैंपियन ने शुरुआत 76.28 मीटर के साधारण थ्रो से की, लेकिन दूसरे प्रयास में सुधार करते हुए 79.61 मीटर का थ्रो किया, जिससे वे क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर आ गए। टॉप 12 में अपनी जगह पक्की करने के बाद उन्होंने अपना आखिरी प्रयास नहीं करने का फ़ैसला किया। यश वीर सिंह ने अपने अभियान की शुरुआत 73.89 मीटर के थ्रो से की और राउंड के दौरान धीरे-धीरे सुधार किया। उनके आखिरी प्रयास में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 78.36 मीटर रहा, जिससे वे 10वें स्थान पर रहे और फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की। रोहित यादव ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वालिफाई किया। उन्होंने 77.04 मीटर से शुरुआत की और दूसरे राउंड में 78.37 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जिससे वे कुल मिलाकर नौवें स्थान पर रहे। क्वालिफिकेशन में अपनी स्थिति सुरक्षित देखते हुए उन्होंने अपना आखिरी प्रयास नहीं करने का फ़ैसला किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 82.84 मीटर के शानदार थ्रो के साथ क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग में टॉप किया, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 81.29 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दक्षिण अफ्रीका के डौव स्मिट (80.64 मीटर) और इंग्लैंड के बेन ईस्ट (80.38 मीटर) अन्य एथलीट थे जिन्होंने 80 मीटर का आंकड़ा पार किया।पाकिस्तान के ओलंपिक 2024 गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 78.63 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सातवें स्थान पर रहे, जबकि कई बड़े नाम मुश्किल हालात में संघर्ष करते दिखे। फ़ाइनल क्वालिफिकेशन लिस्ट में नीरज पांचवें, रोहित नौवें और यश वीर सिंह 10वें स्थान पर रहे, और तीनों भारतीय मेडल राउंड में पहुँच गए।

नाम परिवर्तन सूचना
प्रारूप-(एक)

मैं मनोज कुमार राजवाडे (माता/पिता / पालक का नाम) सुपुत्र / सुपुत्री हरवंश राजवाड़े गाँव/शहर खासपारा, तुरना, तह0 लखनपुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/ सुपुत्री का नाम प्रज्ञा राजवाड़े (PRAGYAN RJAWADE) (पुराना नाम) से बदल कर प्रज्ञा राजवाड़े (PRAGYA RAJWADE) (नया नाम) रख लिया हैं।

पालक
मनोज कुमार राजवाड
खासपारा, तुरना, तह0 लखनपुर,
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

न्यायालय तहसीलदार
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमारी आ0.स्वः सत्यनारायण निवासी विश्रामपुर थाना विश्रामपुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने पुत्र (स्व- आशुतोष तिवारी) आ.स्व. सत्यनारायण की दिनांक 07/02/2021 को स्थान जीवन ज्योति हॉस्पीटल में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नायब तहसीलदार
दरिमा ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2024-25

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है.आवेदक / आवेदिका मोहर साय पिता/पति स्व0 बीखल हरिजन निवासी ग्राम कुम्हरता के द्वारा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म / मृत्यु रजि0 नियम 2001 के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने पिता स्व बीखल हरिजन पिता ....मृत्यु दिनांक 20/10/1990 को ग्राम कुम्हरता होना बतलाते हुये उनके जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 19/ 06 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
नायब तहसीलदार
दरिमा,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर
जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार
क्रमांक/3025 वाचक-2/2025
सूरजपुर दिनांक - 24/07/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर सरस्वतीपुर प0ह0नं0 20 तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयलाल पिता झेलसाय जाति केवट निवासी ग्राम सरस्वतीपुर पोस्ट रामनगर थाना विश्रामपुर तहसील सूरजपुर जिला - सूरजपुर (छ0ग0) ने अपने पिता झेलसाय का मृत्यु तिथि 13/12/2024 स्थान सरस्वतीपुर के जन्म/मृत्यु पत्र हेतु आंवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति / आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 06/08/2026 दिन गुरूवार को उपस्थित होकर दावा /आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 24/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील
नायब तहसीलदार
उप तह.मानी,सूरजपुर

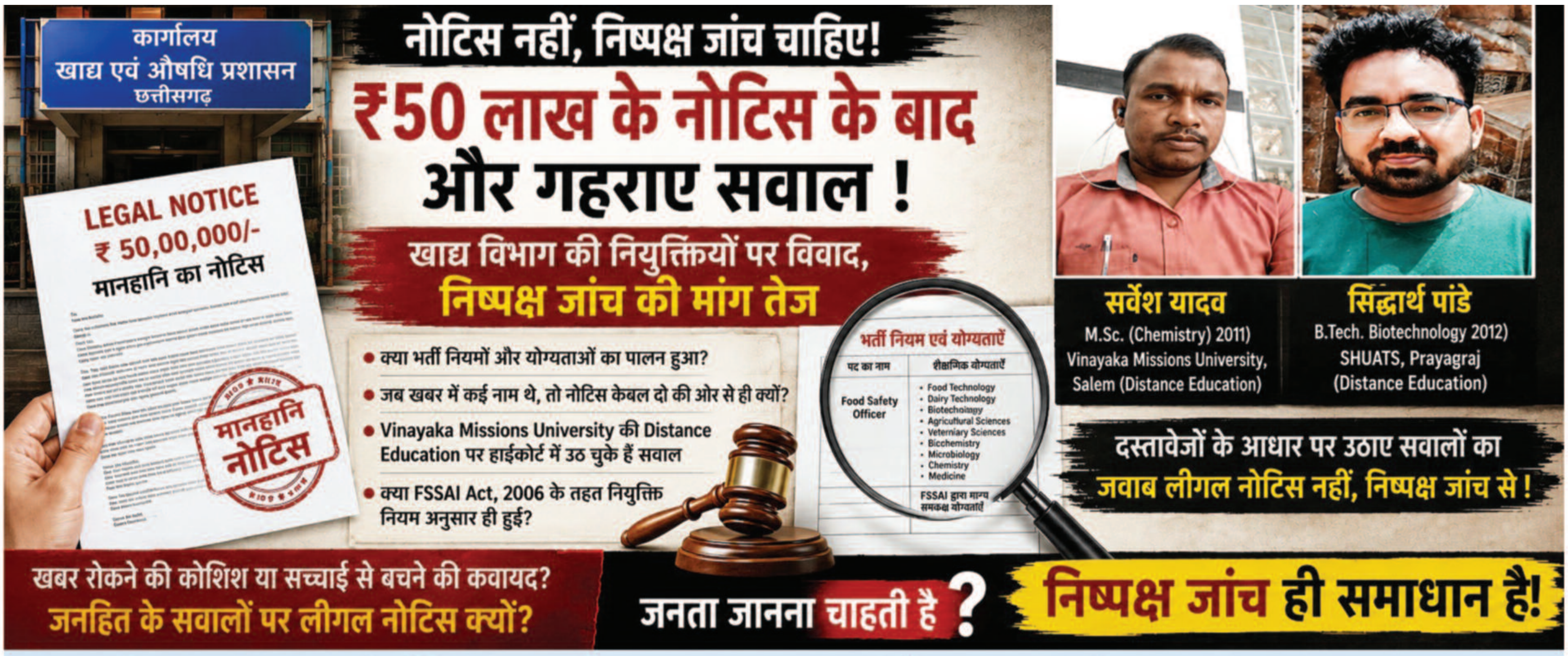

नोटिस नहीं, निष्पक्ष जांच चाहिए!

₹50 लाख के नोटिस के बाद और गहराए सवाल !

खाद्य विभाग की नियुक्तियों पर विवाद, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

- क्या भर्ती नियमों और योग्यताओं का पालन हुआ?
- जब खबर में कई नाम थे, तो नोटिस केवल दो की ओर से ही क्यों?
- Vinayaka Missions University की Distance Education पर हाईकोर्ट में उठ चुके हैं सवाल
- क्या FSSAI Act, 2006 के तहत नियुक्ति नियम अनुसार ही हुई?

सर्वेश यादव
M.Sc. (Chemistry) 2011)
Vinayaka Missions University, Salem (Distance Education)

सिद्धार्थ पांडे
B.Tech. Biotechnology 2012)
SHUATS, Prayagraj
(Distance Education)

दस्तावेजों के आधार पर उठाए सवालों का जवाब लीगल नोटिस नहीं, निष्पक्ष जांच से !

खबर रोकने की कोशिश या सच्चाई से बचने की कवायद? जनहित के सवालों पर लीगल नोटिस क्यों?

जनता जानना चाहती है ?

निष्पक्ष जांच ही समाधान है!

लीगल नोटिस के बाद और गहरे हुए सवाल

अब जांच बताएगी कौन सही और कौन गलत

दस्तावेजों पर आधारित खबर से घबराहट क्यों? लीगल नोटिस ने खाद्य विभाग की नियुक्तियों पर बढ़ाए सवाल

खबर रोकने की कोशिश या सच्चाई से बचने की कवायद? लीगल नोटिस के बाद जांच की मांग तेज

जब खबर में कई नाम थे,तो नोटिस केवल दो की ओर से ही क्यों? उठे नए सवाल

जनहित के सवालों पर लीगल नोटिस,अब जांच से ही सामने आएगी सच्चाई

लीगल नोटिस से नहीं रुकेगी खोजी पत्रकारिता, अब नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच बनेगी असली कसौटी

दस्तावेजों, भर्ती नियमों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकाशित खोजी खबर को बताया गया मानहानिकारक

दैनिक घटती-घटना बोला–सच्चाई सामने लाने के लिए जांच ही सबसे बड़ा जवाब

जब खबर में कई अधिकारियों के नाम थे,तब नोटिस केवल दो अधिकारियों की ओर से ही क्यों? क्या विभाग निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगा?

घटती घटना | राजधानी समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 20 जुलाई 2026 | 8

50 लाख का लीगल नोटिस या सवालों से बचने की कोशिश?

हिंदी अखबार को अंग्रेजी में नोटिस क्यों?

50 लाख का नोटिस भेजा...अब हिंदी में भेजने की बारी!

हिंदी में नोटिस प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा बिंदुवार विस्तृत उत्तर, जनहित में प्रकाशित समाचार को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं

वरिष्ठता पर हाईकोर्ट की आपत्ति

फिर भी रिव्यू में गई सरकार!

योग्यता पर भी उठे सवाल

हाईकोर्ट ने वरिष्ठता सूची पर उठाए सवाल

आखिर किसे बचाने की कोशिश ?

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर/रायपुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में नियुक्तियों,पदोन्नतियों और शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर दैनिक घटती-घटना द्वारा प्रकाशित खोजी समाचारों के बाद दो अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से ?50 लाख की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया है, नोटिस में समाचारों को हटाने,सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने,क्षतिपूर्ति देने और भविष्य में ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं करने की मांग की गई है, दैनिक घटती-घटना इस कानूनी नोटिस का विधिसम्मत उत्तर देगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में भी उपलब्ध दस्तावेजों, भर्ती नियमों, राजपत्रों, न्यायालयीन अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने अब एक नया और बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है–क्या जनहित से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाना मानहानि है, या फिर उन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से दिया जाना चाहिए?

खबर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं,पूरी व्यवस्था पर थी...

दैनिक घटती-घटना द्वारा प्रकाशित समाचार किसी व्यक्ति विशेष को अपराधी घोषित करने या उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकाशित नहीं किए गए थे,समाचारों का आधार था विभागीय दस्तावेज,भर्ती नियम, राजपत्र,न्यायालयीन अभिलेख,शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित उपलब्ध जानकारी,तथा जनहित से जुड़े तथ्य,समाचारों में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में हुई नियुक्तियां और पदोन्नतियां वास्तव में उन नियमों के अनुरूप थीं, जिनके पालन की अपेक्षा शासन स्वयं अपने विभागों से करता है,यदि विभाग की पूरी प्रक्रिया वैधानिक है तो निष्पक्ष जांच स्वयं इसकी पुष्टि कर देगी।

सवाल नियुक्ति प्रक्रिया पर थे,किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया था...

प्रकाशित समाचारों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कोई अधिकारी अपराधी है या उसके विरुद्ध कोई दोष सिद्ध हो चुका है, समाचारों में केवल यह पूछा गया कि क्या भर्ती नियमों का पालन हुआ? क्या निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं का परीक्षण किया गया? क्या सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार हुआ? क्या पदोन्नतियां नियमों के अनुरूप हुईं? लोकतंत्र में ऐसे प्रश्न पूछना पत्रकारिता का दायित्व है।

जब खबर में कई अधिकारियों के नाम थे,तब नोटिस केवल दो अधिकारियों की ओर से ही क्यों?

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकाशित समाचारों में केवल सर्वेश यादव और सिद्धार्थ पांडे का ही उल्लेख नहीं था, समाचारों में विभाग से जुड़े अनेक अधिकारियों,नियुक्तियों और पदोन्नतियों का उल्लेख किया गया था,फिर केवल दो अधिकारियों की ओर से ही कानूनी नोटिस भेजा जाना कई नए प्रश्न खड़े करता है,क्या केवल इन्हीं दो अधिकारियों को समाचार से आपत्ति हुई? क्या इन्हीं की नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर सबसे अधिक विवाद है? या फिर समाचारों में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उन्हें कानूनी नोटिस के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर अब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है।

शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर उठे प्रश्नों का जवाब जांच से मिलना चाहिए- प्रकाशित समाचारों में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कुछ अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे, इन्हीं में एक नाम सर्वेश यादव का है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता Vinayaka Missions University, Salem (Distance Education) से प्राप्त M.Sc. बताई गई, इसी प्रकार सिद्धार्थ पांडे की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी समाचार में दस्तावेजों के आधार पर प्रश्न उठाए गए थे,समाचार का उद्देश्य किसी डिग्री को स्वतः अमान्य घोषित करना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि संबंधित समय में लागू भर्ती नियमों,FSSAI के प्रावधानों और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार इन योग्यताओं की विधिक स्थिति क्या थी।

हाईकोर्ट के निर्णय ने भी उठाए थे Vinayaka Missions University के Distance Education पर सवाल- दैनिक घटती-घटना के पास उपलब्ध छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय में Vinayaka Missions University से संचालित Distance Education कार्यक्रमों और उनके अध्ययन केंद्रों को लेकर गंभीर कानूनी प्रश्नों का उल्लेख किया गया है, न्यायालय ने उस मामले में GC एवं Distance Education संबंधी नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर विस्तार से विचार किया था, यही कारण था कि समाचार में यह प्रश्न भी उठाया गया कि यदि किसी विश्वविद्यालय की Distance Education प्रणाली पहले न्यायिक जांच के दायरे में रही है, तो उससे प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर हुई नियुक्तियों की वैधानिक स्थिति की भी जांच होनी चाहिए।

भर्ती नियम भी स्पष्ट हैं- राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती नियमों में Food Safety Officer के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है,इनमें Food Technology, Dairy Technology, Biotechnology, Agricultural Sciences,Veterinary Sciences,Biochemistry,Microbiology, Chemistry तथा Medicine सहित निर्धारित योग्यताओं का प्रावधान है तथा FSSAI द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता का भी उल्लेख किया गया है, दैनिक घटती-घटना ने इन्हीं नियमों तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन कर प्रश्न उठाए थे।

यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है,तो जांच से परहेज क्यों?-यदि विभाग यह दावा करता है कि सभी नियुक्तियां वैध हैं, सभी पदोन्नतियां नियमों के अनुरूप हुई हैं, सभी अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यताएं विधिसम्मत हैं,तो फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए,जांच होने से यदि सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो इससे संबंधित अधिकारियों की स्थिति और मजबूत होगी,वहीं यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

पत्रकारिता का दायित्व सवाल पूछना है,न्यायालय का दायित्व निर्णय देना- दैनिक घटती-घटना यह स्पष्ट करना चाहता है कि समाचार प्रकाशित करना और दस्तावेजों के आधार पर प्रश्न उठाना पत्रकारिता का संवैधानिक दायित्व है, किसी नियुक्ति, पदोन्नति या शैक्षणिक योग्यता की अंतिम वैधता तय करना न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का कार्य है, पत्रकारिता का कार्य केवल इतना है कि यदि किसी व्यवस्था में प्रश्न उठते हैं तो उन्हें जनता और शासन के सामने रखा जाए।

लीगल नोटिस से नहीं रुकेगी खोजी पत्रकारिता

दैनिक घटती-घटना पिछले दो दशकों से अधिक समय से जनहित से जुड़े विषयों पर खोजी पत्रकारिता कर रहा है, इस दौरान अनेक प्रभावशाली लोगों और संस्थाओं की ओर से कानूनी नोटिस भी प्राप्त हुए, लेकिन अनेक मामलों में बाद की जांचों और कार्रवाई में वही तथ्य सामने आए जिनकी ओर हमारे समाचारों ने पहले संकेत किया था,हम कानून का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और इस नोटिस का भी विधिसम्मत उत्तर देंगे, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि दस्तावेजों के आधार पर उठाए गए जनहित के प्रश्नों का उत्तर कानूनी नोटिस नहीं,बल्कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यदि विभाग और शासन को अपने निर्णयों पर विश्वास है, तो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराकर जनता के सामने सत्य रखा जाना चाहिए।

दैनिक घटती-घटना का संकल्प स्पष्ट है...

न तो किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना, न किसी के प्रति पूर्वाग्रह; हमारा दायित्व केवल जनहित, पारदर्शिता और व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले प्रश्नों को समाज के सामने रखना है। सत्य जो भी होगा, वही जनता के सामने आए, यही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,मिलेगा 32 महीने का बकाया पेंशन एरियर

बिलासपुर,30 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य गठन के बाद रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य शासन को एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को वास्तविक वित्तीय लाभ एक सितंबर 2008 से देने संबंधी

शासन के परिपत्र और स्पष्टीकरणों को भेदभावपूर्ण मानते हुए उस सीमा तक निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने बस्तर निवासी 80 वर्षीय रिटायर्ड प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने-अपने हिस्से की वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हुए 120 दिनों के भीतर एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें। अदालत के इस फैसले से राज्य गठन के बाद रिटायर्ड हुए शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

विधायक रामकुमार टोप्पो को जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत,जांच समिति ने दी क्लीन चिट

रायगढ़,30 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो को उनके जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर याचिका के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था, जो इस मामले की गहराई से जांच कर रही थी। करीब ढाई साल तक चली लंबी जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो को क्लीन चिट दे दी है। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ताओं द्वारा विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई भी

ठोस, दस्तावेजी या प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

निराधार पाई गई शिकायत : पर्याप्त सबूतों के अभाव में समिति ने शिकायत को पूरी तरह निराधार मानते हुए प्रकरण का निराकरण कर दिया।

जांच में प्रमाण पत्र सही : लंबी छानबीन के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो का जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध और सही पाया गया है।

सत्य की हुई जीत : क्लीन चिट मिलने के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही पूरी जांच प्रक्रिया में प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। मुझे शुरू से ही न्यायपालिका और सच्चाई पर पूरा विश्वास था। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने जानबूझकर मेरी छवि धूमिल करने और मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन निष्पक्ष जांच ने सारे तथ्य दूध की तरह साफ कर दिए हैं। '

समर्थकों में जश्न का माहौल

जांच पूरी होने और विधायक को क्लीन चिट मिलने की खबर सामने आते ही सीतापुर क्षेत्र में उनके समर्थकों के बीच भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। समर्थकों का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बिना किसी पर्याप्त और पुख्ता तथ्य के यह शिकायत दर्ज कराई गई थी,जिसका उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना था। हालांकि,यदि इस रिपोर्ट से कोई पक्ष असंतुष्ट होता है, तो वह आगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)